वर्ष 12 • अंक 299 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 3 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 9

सिंथेटिक धागा सस्ता होने के आसार

पृष्ठ 12

महामारी से निपटने की कैसी तैयारी ?

एक नज़र

इसी तिमाही में आएगा नया बॉन्ड ईटीएफ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बॉन्ड आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) के दूसरे चरण का निर्गम चालू तिमाही में ही आ सकता है। इससे पहले शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बॉन्ड बाजार का विस्तार करने का प्रस्ताव किया। साथ ही उन्होंने नया बॉन्ड या ऋण ईटीएफ लाने की घोषणा की। इसमें मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड शामिल किए जाएंगे। पहला बॉन्ड ईटीएफ हाल में पेश किया गया था और यह काफी सफल रहा था। सरकार नया बॉन्ड ईटीएफ लाने की तैयारी कर रही है।

बॉन्ड बाजार में आ सकती है तेजी

सोमवार को शेयर बाजार खुलने पर बॉन्ड बाजार में तेजी देखी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि राजकोषीय घाटा उम्मीद के अनुरूप रही है और चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा आगे और उधारी नहीं लेने का असर बॉन्ड प्रतिफल पर दिख सकता है। शनिवार को पेश बजट के बाद बाजार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और सेंसेक्स एवं निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई थी।

बीपीसीएल के लिए जल्द जारी होगा अभिरुचि पत्र

सरकार तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिए बोली आमंत्रित करने की खातिर जल्द ही अभिरुचि पत्र आमंत्रित करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने नवंबर में ही बीपीसीएल में रणनीति बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है और मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से सरकार को इससे करीब 60,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिसंबर में अमेरिका, लंदन और दुबई में रोड शो किए जा चुके हैं।

दिल्ली: कांग्रेस का उद्योग को सस्ती बिजली का वादा

कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त और 600 यूनिट तक सब्सिड़ी के साथ ही उद्योग को 6 रुपये यूनिट पर सस्ती बिजली देने का भी वादा किया है। घोषणापत्र में कम पानी खर्च करने पर कैशबैक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट का 25 फीसदी आवंटन, बेरोजगारी भत्ता, न्याय योजना, महिलाओं को नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण, छात्राओं को पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है।

आज का सवाल

क्या एलआईसी का विनिवेश उचित कदम होगा

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या बजट में अर्थव्यवस्था में सुधार के किए गए हैं पर्याप्त उपाय?	हां	50.00%
	नहीं	50.00%

बजट 2020-21 : एक दिन बाद

भारत में कमाई पर ही लगेगा कर

बजट के एक दिन बाद सरकार ने दिया प्रवासी भारतीयों से संबंधित कर पर स्पष्टीकरण

श्रीमी चौधरी और इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 2 फरवरी

- कर चोरी रोकने के लिए किया गया है प्रावधान
- एनआरआई के कर चोरी के कई मामले आए हैं सामने
- कम कर या शून्य कर वाले देशों में भेजते हैं पैसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साफ किया कि प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को केवल भारत में कारोबार या पेशे से हुई आय पर ही कर का भुगतान करना होगा।

शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट में यह प्रस्ताव किया गया था कि अगर एनआरआई किसी अन्य देश में कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपनी वैश्विक कमाई पर भारत में कर देना होगा। इस पर सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसे सफाई देनी पड़ी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर चोरी को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया था। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिनमें एनआरआई भारत में कर भुगतान से बचने के लिए ऐसे देश में चले जाते हैं जहां कम कराधान या शून्य कर लगता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'अगर किसी अन्य देश में रहने वाले एनआरआई की भारत में कमाई होती है तो उसे इस पर कर चुकाना होगा। मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं और भारत में आपको मकान से किराया मिलता है। आप यह किराया वहां ले जाते हैं। इस तरह न आप यहां कर देते हैं और न वहां। इस पर आपको कर देना होगा। मैं आपसे दुबई में हुई कमाई पर कर नहीं लगा रही हूं।' केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी एक बयान में कहा कि नया प्रावधान का मकसद उन लोगों को कर दायरे में लाना नहीं है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इसे जिस तरह परिभाषित किया जा रहा है, उससे यह धारणा बन रही है कि एनआरआई को विदेशों में होने वाली कमाई पर भारत में कर लगाया जाएगा। यह सही नहीं है और जरूरत पड़ने पर इसे कानून के संबंधित प्रावधान में जोड़ा जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने बजट में एनआरई के लिए दो बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया है। पहला यह कि उन्हें अब कर देना होगा और दूसरा यह कि उन्हें प्रवासी का दर्जा पाने के लिए लंबी अवधि तक विदेश में रहना होगा। मौजूदा व्यवस्था में अगर कोई भारतीय 180 दिन से अधिक समय तक विदेश में रहता है तो उसे एनआरआई का दर्जा मिलता है। लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 240 दिन करने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव भी किया गया है कि अगर कोई एनआरआई विदेश में कर नहीं चुकाता है तो वह भारतीय कर व्यवस्था के दायरे में आएगा। प्रस्तावों को संसद की अनुमति मिलने के बाद नए नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगे और आकलन वर्ष 2021-22 से इसका पालन किया जाएगा। अशोक माहेश्वरी ऐंड एसोसिएट्स एलएलपी में पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस स्पष्टीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के पीछे सरकार की मंशा भारतीय आय या विदेशों में हुई ऐसी आय पर कर लगाना है जो भारतीय कारोबार या पेशे से कमाई गई हो। यह कर चोरी रोकने का प्रावधान है और इससे ऐसे एनआरआई कर दायरे में आ जाएंगे जो भारत में हुई कमाई पर कर नहीं चुकाते हैं।' आय कर विभाग ने कई एनआरआई के पिछले 5-6 साल के कर रिटर्न को फिर से खोलने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है और उनसे पासपोर्ट की फोटोकॉपी मांगी गई है।

■ **बजट से संबंधित खबर : पृष्ठ 2, 3, 4, 5, 6 और 9**

एलआईसी को सूचीबद्ध होने में लगेगा एक साल!

सोमेश झा
नई दिल्ली, 2 फरवरी

राजीव कुमार, वित्त सचिव

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सूचीबद्ध कराने में करीब एक साल का वक्त लग सकता है और सरकार का इरादा इसमें 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा बेचने का नहीं है। वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा, 'हम इसकी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के संपर्क में हैं। एलआईसी अधिनियम में भी संशोधन करना होगा। यह सब छह माह में करना संभव नहीं है और इसमें करीब एक साल लग सकता है।'

कुमार ने कहा कि एलआईसी को सूचीबद्ध कराने के पीछे ज्यादा पारदर्शिता लाना और कंपनी को शेयरधारकों के साथ लाभ को साझा करने की अनुमति प्रदान करने का विचार है। उन्होंने कहा कि इसे खुलासा नियमों के दायरे में लाना अहम होगा। एलआईसी द्वारा जारी सभी पॉलिसियों पर सॉवरिन गारंटी पहले की तरह जारी रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालिया बैलेंसशीट के अनुसार एलआईसी का मूल्यांकन करीब 36 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि सरकार एलआईसी में 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा नहीं बेचेगी। यह 10 फीसदी से कम ही रहेगा। सरकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आईपीओ के जरिये 10 फीसदी से कम हिस्सा बेचने की छूट देने का आग्रह कर सकती है। दरअसल किसी भी कंपनी को आईपीओ में कम से कम 10 फीसदी हिस्सा बेचना होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बबजट 2020-21 में आईपीओ के जरिये एलआईसी के विनिवेश की घोषणा की है। सरकार एलआईसी की सूचीबद्धता और आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बचेकर 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

■ **संबंधित खबर : पृष्ठ 3**

बजट और कोरोनावायरस की वजह से बाजार में रहेगी अस्थिरता

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 2 फरवरी

बाजारों को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्ताव रास नहीं आए हैं। शेयर बाजारों में बजट के दिन वर्ष 2009 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स करीब 1,000 अंक गिरकर बंद हुआ।

आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए बजट में उपायों के अभाव, अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा अधिक रहने के आसार, राजस्व की कमी पूरी करने के लिए भारी विनिवेश लक्ष्य और दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) जैसे अहम मुद्दों पर कोई राहत नहीं दिए जाने से बाजार निराश हुआ है। अब ज्यादातर विशेषज्ञ कम से कम लघु से मध्यम अवधि में शेयर बाजार की राह को लेकर सतर्कता बरतने का सुझाव दे रहे हैं। उनका अनुमान है कि आगे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ेगी, जिससे ऊंचे मूल्यांकन और नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच कंपनियों की आमदनी पर असर पड़ेगा। उनका मानना है कि इससे बाजार के एक सीमित दायरे में और अस्थिर रहने के आसार हैं।

उदाहरण के लिए नोमुरा के विश्लेषकों का अनुमान है कि 2019 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में और गिरावट आएगी। इसके 4.3 फीसदी हो जाएगी, जो तीसरी तिमाही में 4.5 फीसदी थी। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि अनुमान से कम 5.7 फीसदी रहेगी, जो वित्त वर्ष 2020 में 4.7 फीसदी अनुमानित है।

बजट के बाद के एक नोट में नोमुरा की प्रबंध निदेशक और भारत में प्रमुख अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने लिखा, 'हम बजट को वृद्धि और महंगाई के लिए तटस्थ रूप में देखते हैं।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

लाभांश नीति बदल सकती हैं कंपनियां

सचिन मामबटा और समीर मुलगांवकर
मुंबई, 2 फरवरी

लाभांश कर नीति में बदलाव के बाद भारतीय कंपनियां शेयरधारकों को पूंजी पर रिटर्न देने के तरीके बदल सकती हैं। एसऐंडपी बीएसई 500 कंपनियों के विश्लेषण के पता चलता है कि भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रवर्तकों को अब समान लाभांश के लिए कम से कम 20 फीसदी अतिरिक्त कर देना होगा। ऐसे में संभव है कि वे पुनर्खरीद जैसे वैकल्पिक उपायों को अपना सकते हैं।

आम बजट में कहा गया है कि लाभांश पर कर की देनदारी अब शेयरधारकों यानी लाभांश प्राप्त करने वालों की होगी। इसका मतलब है कि प्रवर्तकों को, जो पहले ही उच्च कर दायरे में आते हैं, उन्हें प्राप्त लाभांश पर 42.7 फीसदी की दर से कर चुकाना होगा। लाभांश वितरण कर (डीडीटी) करीब 20.56 फीसदी है। नई व्यवस्था से पहले कंपनी शेयरधारकों को लाभांश देने से पहले कर चुकाती है।

सरकार का कहना है कि कंपनियों से डीडीटी का बोझ हटाने से सरकार को करीब 25,000 करोड़ रुपये की चपत लगेगी लेकिन बीएसई 500 के अधिकतर प्रवर्तक उच्च कर दायरे के हिसाब से अपने लाभांश पर कर चुका सकते हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड के विश्लेषण में बीएसई 500 से सरकारी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि कर और लाभांश दोनों सरकार के पास ही जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नई व्यवस्था में जरूर लाभ होगा और उन्हें भी इस सूची से बाहर रखा गया है। ऐसे में इस सूची में अब 387 कंपनियां बचती हैं। इन कंपनियों के प्रवर्तकों को पुरानी व्यवस्था में लाभांश पर 20.56 फीसदी कर देना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था में उनकी कर देनदारी बढ़ जाएगी। गैर-कॉरपोरेट प्रारूप में प्रवर्तकों को 42.7 फीसदी का कर देना होगा। इसका मतलब हुआ कि इन कंपनियों के प्रवर्तकों को पहले से दोगुना कर चुकाना होगा।

डेलायट हस्किंस ऐंड सेल्स में पार्टनर राजेश एच गांधी ने कहा, 'प्रवर्तकों को लाभांश पर अब पहले से ज्यादा कर देना होगा। लाभांश पर 20.56 फीसदी कर लगता है। लेकिन प्रवर्तकों के उच्च कर दायरे में आने की वजह से लाभांश प्राप्ति पर उन्हें 42.74 फीसदी के हिसाब से कर का भुगतान करना होगा क्योंकि इसे करदाता की आय मानी जाएगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट ढांचे में शेयरधारिता पर लाभांश कर 25.17 फीसदी जबकि ट्रस्ट के मामले में उच्च दरों पर कर देना होगा। दिलचस्प है कि शेयर पुनर्खरीद अब ज्यादा आकर्षक होगा क्योंकि इस पर 20 फीसदी की दर से कर लगता है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।'

ईवाई इंडिया में इंटरनैशनल टैक्स ऐंड ट्रांजेक्शन सर्विसेज के नैशनल लीडर प्रणव सत्या ने कहा कि इस कदम से विदेशी निवेशकों को फायदा होगा। दूसरी ओर कर संग्रह काफी चुनौती भरा होगा क्योंकि पहले जहां कंपनियों से इसे वसूलने में सहूलियत होती थी वहीं अब शेयरधारकों की बड़ी संख्या से यह कर वसूलना होगा। उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी करना असान नहीं होगा।

किसको, कितना लाभांश

कंपनी	प्रवर्तक समूह	लाभांश आय*
आरआईएल	मुकेश अंबानी	1,778
बजाज ऑटो	बजाज	888
भारती एयरटेल	भारती	809
गोदरेज कंज्यूमर	गोदरेज	776
टेक महिंद्रा	महिंद्रा	494

*वित्त वर्ष 2019 में प्राप्त लाभांश करोड़ रुपये में

इलेक्ट्रॉनिक्स

नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का आधार तैयार

एसी एवं मोबाइल हैंडसेट के उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का भी बजट में ऐलान

अर्णव दत्ता

देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सुधार पर नजर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन एवं दूसरे उपभोक्ता उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों के लिए आयात शुल्क दरों में बदलाव किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई विनिर्माण नीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। हालांकि इस कदम से कई उत्पादों की कीमतें में बढ़ोतरी होने का जोखिम भी है।

सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई नीति लेकर आएगी।

इस नीति के खाके को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। सीतारमण ने कहा था, 'मैं मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के घरेलू विनिर्माण पर केंद्रित एक नई योजना का प्रस्ताव रखती हूं।'

सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2012 से ही स्थानीय विनिर्माण को गति दे रही संवर्द्धित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के बंद होने के बाद से ही ऐसी कोई योजना वजूद में नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माताओं को प्रोत्साहित कर सके। एम-सिप्स की तरह प्रस्तावित नई योजना में भी आकर्षक पेशकश रखी जाएंगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद संयंत्र लगाने वाले विनिर्माताओं को कर लाभ देने के अलावा बिजली एवं जमीन जैसी सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकती हैं। यह व्यवस्था नए विनिर्माताओं के लिए 15 फीसदी की दर से लागू संशोधित कॉर्पोरेट कर के सामंजस्य में चलेगी।

हालांकि वित्त मंत्री ने एयरकंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के कम्प्रेसर (10 फीसदी से 12.5 फीसदी, पीसीबीए (10 फीसदी से 20 फीसदी), मोबाइल फोन के टच पैनल और डिसप्ले असेंबली के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की भी घोषणा की है। पूरी तरह तैयार एयर प्यूरिफायर, वाशिंग मशीन और कूलर में इस्तेमाल होने वाले मोटर उपकरणों पर भी शुल्क को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।

नई योजना की घोषणा के ऐन पहले सीमा शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि विक्रेताओं को स्थानीय उत्पादन पर अधिक निर्भर रहने का प्रेरित कर रही है। लेकिन इनमें से कई उत्पादों की घरेलू स्तर पर विनिर्माण क्षमता अभी न होने से इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ही होगी।

सिएमा के अध्यक्ष और गोदरेज अप्लायंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी का कहना है कि इसके पीछे मंशा भले ही अच्छी है लेकिन इससे सीमित अवधि में रेफ्रिजरेटर, कूलर, वाशिंग

मशीन, एयर प्यूरिफायर और चेस्ट फ्रीजरों के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि एयरकंडीशरों और बड़े स्क्रीन वाले टीवी सेट पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से विनिर्माता एवं खरीदारों को लागत में कुछ वृद्धि थामने में मदद मिलेगी।

पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी और फिक्की की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विनिर्माण समिति के प्रमुख मनीष शर्मा का मानना है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना एक स्वागय-योग्य कदम है लेकिन एक तय समयसीमा होने पर उद्योग की धारणा को मजबूती मिलती।

देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी नेक्सजू मोबिलिटी के कारोबार प्रमुख पंकज तिवारी कहते हैं कि सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन जैसे नए उद्योग को समर्थन देने के बजाय पूरी तरह तैयार वाहनों एवं उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाने से अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तैयार कलपुर्जों पर पांच फीसदी और अधबने पुर्जों पर सीमा शुल्क 10 फीसदी तक बढ़ाया गया है। टेकआर्क के वरिष्ठ विश्लेषक फैसल कवूसा को लगता है कि

मोबाइल फोन एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों में उपयोग होने वाले उपकरणों की आयात शुल्क दरों में बदलाव

नई दरें लागू होने पर स्मार्टफोन की लागत पांच से सात फीसदी तक बढ़ जाएगी। पीसीबीए और डिसप्ले असेंबली एवं टच पैनल के महंगा होने से यह लागत बढ़ेगी। लेकिन अगर चीन एवं ताइवन के बड़े आपूर्तिकर्ता इन उपकरणों के दाम में थोड़ी कमी कर देते हैं तो इसका भारत में असर कम हो जाएगा।

वाहन

वाहन कंपनियों की नए वर्ष में कमजोर शुरुआत

कंपनियों की तरफ से जारी मासिक बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक देश की शीर्ष छह यात्री वाहन कंपनियों की कुल बिक्री जनवरी में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 11.3 फीसदी घटी

शैली सेठ मोहिले

कमजोर मांग और सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण वाहन कंपनियों की नए साल में शुरुआत कमजोर रही है। कंपनियों की तरफ से जारी मासिक बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक देश की शीर्ष छह यात्री वाहन कंपनियों की कुल बिक्री जनवरी में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 11.3 फीसदी घटी है। देश में पिछले डेढ़ साल से यात्री वाहनों की बिक्री कम हो रही है।

हालांकि पिछले महीने की बिक्री के आंकड़े की तुलना जनवरी 2019 से नहीं की जा सकती। इसकी वजह यह है कि बहुत से वाहन विनिर्माताओं ने नए उत्सर्जन मानकों को अपनाने के लिए बीएस4 वाहनों का उत्पादन रोक दिया है और वे धीरे-धीरे बीएस6 मॉडलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

बजट में कोई राहत मुहैया नहीं कराई गई है, इसलिए इन कंपनियों के लिए अगले दो तिमाहियों में चुनौती बनी रहेगी। इसके अलावा उत्सर्जन मानकों में बदलाव से पहले कीमतों में बढ़ोतरी करने से खरीदारों का रुझान और प्रभावित होने और बिक्री पर असर पड़ने के आसार हैं।

बजट के बाद एक अनुसंधान नोट में दौलत कैपिटल ने कहा कि बजट में कृषि एवं सहायक गतिविधियों और ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए कृषि कर्ज में 25 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य है। इसके अलावा लघु एवं मझोले उद्योगों को मदद देने की बात कही गई है। इन सब पहलों से दोपहिया वाहन और शुरुआती स्तर की कारों की मांग में इजाफा होगा।

औद्योगिक संस्था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) पुराने वाहनों के कबाड़ पर प्रोत्साहन देने की उम्मीद कर रहा थी, जिससे लघु अवधि में मांग बढ़ सकती थी।

बजट में कोई राहत मुहैया नहीं कराई गई है, इसलिए इन कंपनियों के लिए अगले दो तिमाहियों में चुनौती बनी रहेगी

मारुति सुजूकी इंडिया को छोड़कर अन्य कंपनियों की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट आई है। मारुति ने पिछले साल बिक्री में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की। भारत में वाहन कंपनियां डीलरों को भेजे गए वाहनों को बिक्री मानती हैं। मारुति सुजूकी ने जनवरी में 1,39,844 कारों की बिक्री की, जो जनवरी 2019 में 1,39,440 थी। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार विक्रेता हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री 8.3 फीसदी घटकर 42,002 रही।

मारुति के प्रबंध निदेशक और सीईओ के आयुकावा ने कहा कि बजट में नई दिशा है और इसने निजी क्षेत्र के लिए निवेश और वृद्धि का मंच तैयार किया है। उन्होंने कहा, 'इन सब पहलों से वाहन उद्योग को मदद मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी परिषद कार जैसे उत्पादों पर कर घटाने के बारे में विचार करेगी, जिनका अर्थव्यवस्था में नौकरियों पर गुणक प्रभाव पड़ता है। कर की कम दरों से आर्थिक वृद्धि में ज्यादा फायदा होगा।'

अन्य कंपनियों की बिक्री में तेजी से गिरावट आई है। महिंद्रा की बिक्री 17 फीसदी घटकर 19,797 रही। वहीं टाटा मोटर्स के यात्री वाहनों की बिक्री जनवरी महीने में 22 फीसदी घटकर 13,894 रही।

मारुति सुजूकी ने जनवरी में 1,39,844 कारों की बिक्री की, जो जनवरी 2019 में 1,39,440 थी

टोयोटा और होंडा की स्थानीय इकाइयों की बिक्री में क्रमश: 71 फीसदी और 41 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि इन कंपनियों ने बीएस6 मॉडलों का उत्पादन शुरू करने के लिए बीएस4 मॉडलों का उत्पादन रोक दिया है। कंपनियों के बीएस6 मॉडलों का उत्पादन बढ़ाने पर उनकी बिक्री में सुधार आने की संभावना है।

दूरसंचार

लाइसेंस व स्पेक्ट्रम से दोगुना राजस्व

सुरजीत दास गुप्ता

सरकार ने 'अन्य दूरसंचार सेवाओं' से अपना राजस्व दोगुना करने की योजना बनाई है, जिससे दूरसंचार कंपनियों में यह चिंता पैदा हुई है कि उन्हें अगले वित्त वर्ष में एजीआर का एक बड़ा हिस्सा (1.44 लाख करोड़ रुपये का 50 फीसदी से अधिक) चुकाना पड़ सकता है।

अन्य दूरसंचार सेवाओं में लाइसेंस फीस का भुगतान, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) और स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान शामिल है। सरकार ने बजट में अनुमान लगाया है कि 'अन्य संचार सेवाओं' से प्राप्त राजस्व वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान में 58,989.64 करोड़ रुपये है।

सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के अनुमानों के मुताबिक दूरसंचार कंपनियां हर साल लाइसेंस फीस और एसयूसी शुल्क के रूप में करीब 16,000 से 17,000 करोड़ रुपये का भुगतान करती हैं। सीओएआई का कहना है कि अगर यह मानकर भी चलते हैं कि शुल्क में बढ़ोतरी और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव के कारण राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी भी होती है तो यह वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन वित्त वर्ष 2021 के लिए स्थगित स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए दो साल की मोहलत दी गई है। यह धनराशि करीब 25,000 करोड़ रुपये है, जो उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा 5जी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने से सीओएआई का अनुमान है कि सरकार को अगले साल स्पेक्ट्रम की नई नीलामी से 25,000 करोड़ रुपये अग्रिम मिलेंगे।

दूरसंचार कंपनियों और गैर-दूरसंचार कंपनियों (जिन्होंने एजीआर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध किया है) को एजीआर के बकाये के रूप में करीब 3.64 लाख करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

दवा

जन औषधि जेनेरिक दवा पर जोर

सोहिनी दास

सरकार द्वारा पूरे भारत में जन औषधि स्टोरों के जरिये जेनेरिक या गैर-ब्रांडेड दवाओं को बढ़ावा दिए जाने से देश में ब्रांडेड दवा बाजार पर दबाव पड़ सकता है। विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 में इस योजना से घरेलू दवा बाजार पर लगभग एक प्रतिशत का प्रभाव पड़ा था। भविष्य में विश्लेषकों को आने वाले वर्षों में घरेलू ब्रांडेड दवा बाजार पर लगभग 15-20 प्रतिशत का प्रभाव पड़ सकता है।

2020-21 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी जिलों के लिए जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार करने और वर्ष 2024 तक 2000 दवाओं और 300 सर्जिकल्स मुहैया कराए जाने की घोषणा की है। प्रधान मंत्री जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की क्रियान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की वेबसाइट के अनुसार, जून 2019 तक पूरे देश में 5300 जन औषधि केंद्र थे और वे 900 से ज्यादा दवाओं तथा 154 सर्जिकल की पेशकश कर रहे थे।

कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों को हाल में इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने भविष्य में इसका दायरा और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है। विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2019 में इस योजना द्वारा 300 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया गया। एडलवाइस ने जेनेरिक दवाओं पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे पूरे भारतीय दवा बाजार का 1 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होने की आशंका थी। ब्रोकरों का यह भी मानना है

कि जन औषधि योजना के साथ, राज्य सरकार की योजनाएं जेनेरिक्स कारोबार तक पहुंच में इजाफा ला रही हैं, जिनमें राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जेनेरिको जैसी हाइपरलोकल चेन शामिल हैं।

एडलवाइस का मानना है कि भविष्य में जन औषधि स्टोरों की सं?या वर्ष 2021 तक बढ़कर 10,000 हो जाने और या प्रत्येक स्टोर द्वारा 5 लाख रुपये की मासिक बिक्री किए जाने का अनुमान है, जिससे इस योजना का राजस्व वर्ष 2021 तक 6000 करोड़ रुपये हो जाएगा।

इस तरह से 6,000 करोड़ रुपये की जेनेरिक दवाओं का 25,000-30,000 करोड़ रुपये की ब्रांडेड बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जन औषधि योजना में 1.3 लाख करोड़ रुपये के भारतीय दवा बाजार का 20 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित करने की क्षमता है।

एडलवाइस के विश्लेषक अंकित हेतालकर का कहना है कि इस साल के

विश्लेषकों का मानना है कि जेनेरिक दवाओं की बिक्री में हो रही वृद्धि से घरेलू दवा बाजार का 20 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हो सकता है

बजट में, योजना का दायरा बढ़ाया गया है और इसमें कई अन्य दवाओं तथा सर्जिकल्स को शामिल किया गया है जिससे बिक्री वृद्धि की र?तार तेज होगी।

भारतीय दवा बाजार मु?य रूप से ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं से जुड़ा हुआ है। जेनेरिक दवाएं नई दवाओं की नकल हैं। जब इन्हें प्रत्यक्ष रूप से व्यापार (मु?य तौर पर बगैर ब्रांड नाम के) में बढ़ावा दिया जाता है तो इन्हें ट्रेड जेनेरिक्स कहा जाता है।

हालांकि दवा निर्माता ज्यादा सजग नहीं हुए हैं। कुछ प्रमुख कंपनियों की ट्रेड जेनेरिक्स क्षेत्र में भी उपस्थिति है जिसका इस्तेमाल वे अपनी पहुंच और बिक्री बढ़ाने के लिए करती हैं।

कर

लाभांश वितरण कर की समाप्ति से बढ़ेंगे निवेशक

बीएस संवाददाता

लाभांश वितरण कर समाप्त किए जाने से पूंजी बाजार में निवेशकों का आधार बढ़ने की उम्मीद है। नई कर व्यवस्था कंपनियों की तरफ से लाभांश भुगतान में सुधार लाएगा और उन्हें सबसे फायदा पहुंचाएगा जो कम आय वर्ग में हैं। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नई कर व्यवस्था से सबसे कम आय वर्ग के निवेशकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा

अभी भारत की करीब तीन फीसदी आबादी पूंजी बाजार में निवेश करता है, ऐसे में कंपनी की तरफ से ज्यादा लाभांश के भुगतान की संभावना बढ़ेगी और कम आय वर्ग वाले लोगों पर शायद कर नहीं लगेगा, जिससे और निवेशक पूंजी बाजार की ओर आ सकते हैं।

यह कदम कम आय वाले समूह को (5 लाख रुपये तक की आय वाले) पूंजी बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा क्योंकि लाभांश पर कोई कर देनदारी नहीं होगी जबकि पिछली व्यवस्था के तहत उन्हें 20 फीसदी से ज्यादा कर देना होता था।

उनके मुताबिक, वित्त विधेयक 2020 का प्रस्ताव लाभांश के कराधान पर असमानता के मसले का समाधान करेगा। साथ ही प्रवासी भारतीयों को भी राहत दी गई है। शनिवार को बाजार ने लाभांश वितरण कर की समाप्ति पर ध्यान नहीं दिया और 900 से ज्यादा अंक टूट गया। समझा जाता है कि सरकार ने इस घोषणा के बाद बाजार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई थी।

सूत्रों ने कहा कि लाभांश पर कर की व्यवसस्था समाप्त की गई क्योंकि कराधान की एकल दर ज्यादा आय वालों के हक में थी और कम आय वाले वर्ग के खिलाफ। इसके अलावा प्रवासी पर संधि की दर से ज्यादा दर पर कर वसूला जाता था और वे अपने देश में कर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह डेट म्युचुअल फंड बाजार को प्रोत्साहित

देश की करीब तीन फीसदी आबादी करती है पूंजी बाजार में निवेश

करेगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को डेट फंड से मिलने वाली आय पर कम दर से टैक्स देना होगा।

5 लाख रुपये तक की आय वालों को लाभांश आय पर कर नहीं देना होगा जबकि पहले अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें 20.56 फीसदी कर देना होता था।

लाभांश वितरण कर की व्यवस्था पर कहा गया है कि इसकी दर 15 फीसदी है, जो ग्रॉस करने पर 17.65 फीसदी और अधिभार व उपकर के बाद 20.56 फीसदी है। इसके अतिरिक्त लाभांश आय 10 लाख से ज्यादा होने पर देसी निवेशक को अधिभार व कर के साथ 10 फीसदी की दर से कर देना होता है।

इसी तरह 5 से 7.5 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 10 फीसदी कर देना होगा, वहीं 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय वालों को 15 फीसदी कर देना होगा।

भारत ने हमेशा कराधान की क्लासिकल व्यवस्था का पालन किया है, हालांकि कर संग्रह में आसानी और कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ घटाने के लिए लाभांश वितरण कर की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया ताकि कर संग्रह एक जगह हो जाए। इस सभी चीजों का फायदा लाभांश कर की व्यवस्था समाप्त करने से मिलेगा क्योंकि उनकी कर देनदारी काफी हद तक कम हो जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि कुछ ही देश मसलन ऑस्ट्रेलिया कंपनी की तरफ से भुगतान किए गए कर पर क्रेडिट की अनुमति देता है, वहीं शेयरधारकों के हाथ में लाभांश पर कर लगता है। कनाडा, जापान, मैक्सिको, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि देश शेयरधारकों से लाभांश पर कर वसूलते हैं।

आईपीओ

एलआईसी का आईपीओ होगा सबसे बड़ा

अधिनियम में संशोधन, सॉवरिन गारंटी, निवेश पोर्टफोलियो, रियल्टी निवेश और गवर्नेंस का मसला होगा अहम

सुब्रत पांडा, अभिजित लेले और समी मोडक

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराने की राह आसान नहीं रहने वाली है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिये एलआईसी को सूचीबद्ध कराने के सरकार के फैसले पर सरकार, एलआईसी प्रबंधन और पूंजी बाजार व बीमा नियामकों के बीच चौतरफा मसलों की बौछार होगी, जिससे बाहर निकलना इस इश्यू के आसानी से निपटान के लिए जरूरी होगा।

महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या एलआईसी की देनदारी पर सॉवरिन गारंटी जारी रहेगी या नहीं। अगर सरकार सॉवरिन गारंटी जारी रखती है तो एलआईसी के गवर्नेंस पर सवाल उठेंगे। हालांकि अगर सरकार सॉवरिन गारंटी खत्म करने का फैसला लेती है तो खुदरा निवेशकों के सामने एलआईसी की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का मसला होगा।

एलआईसी की परिसंपत्तियों का अहम हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां शामिल हैं। अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के प्रबंध साझेदार अश्विन पारेख ने कहा, 'हमें नहीं पता कि एलआईसी के पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में है। साथ ही डिफॉल्ट रेटिंग वाली कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में इसका खासा निवेश है।'

पहला कदम जीवन बीमा निगम अधिनियम में बदलाव से जुड़ा है। आईआरडीएआई के पूर्व सदस्य निलेश साठे ने कहा, 'एलआईसी अधिनियम में संशोधन पहला कदम है और सबसे महत्त्वपूर्ण पूंजी है। अभी 100 करोड़ रुपये की पूंजी है, जिसे बढ़ाना होगा। सॉवरिन गारंटी भी है, जिसका प्रावधान अधिनियम में है और इसमें बदलाव लाना होगा। जब अधिनियम में संशोधन हो जाएगा तो उसे कंपनी के तौर पर गठित करना होगा क्योंकि अभी यह निगम है। इसका संचालन कंपनी अधिनियम के तहत होगा।' संशोधन व सूचीबद्धता के बाद एलआईसी आईआरडीएआई की गहन जांच व निगरानी के दायरे में आ जाएगी, जहां उसे 150 फीसदी का सॉवरिन मार्जिन बरकरार रखना होगा।

विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार यह फैसला ले सकती है कि मौजूदा शेयरधारकों के लिए सॉवरिन गारंटी बनाए रखी जाए या नहीं और नए शेयरधारकों के लिए गारंटी खत्म कर दी जाए।

विधायी काम और पूंजी बाजार के लिए प्रक्रिया तैयार करने के अलावा सबसे अहम काम सूचीबद्धता के लिए कर्मचारियों को तैयार करना होगा। एलआईसी तिमाही आधार पर प्रदर्शन की समीक्षा करती है, लेकिन यह बाजार और अनुपालन से अलग है। एलआईसी के पूर्व चेयरमैन ने कहा, 'जब आप सूचीबद्ध होते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। आप खुला बयान नहीं दे सकते। सार्वजनिक क्षेत्र में हर कोई बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होता है।'

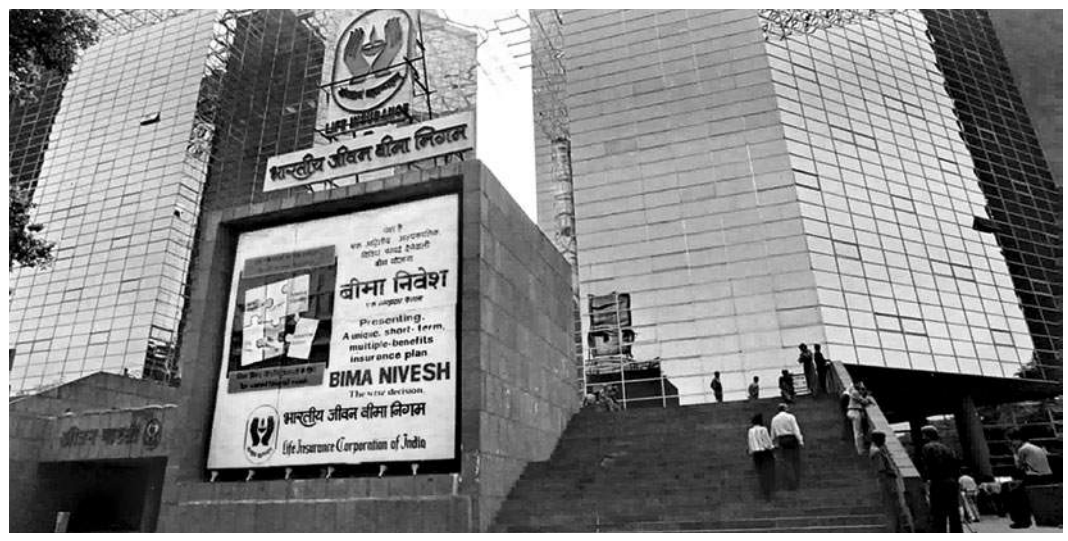

निवेश बैंकरों का मानना है कि आईपीओ की कीमत सबसे बड़ी चुनौती होगी। विश्लेषक इस इश्यू का आकार 70,000 करोड़ रुपये से 90,000 करोड़ रुपये मान रहे हैं। इतनी रकम भारतीय बाजार में कभी नहीं जुटाई गई है। साथ ही बाजार के प्रतिभागियों को डर है कि आईपीओ से बाजार में काफी हलचल देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ निवेशकों को इस आईपीओ में निवेश के लिए अपना मौजूदा निवेश बेचना पड़ेगा। भारतीय बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कोल इंडिया का रहा है जिसने एक दशक पहले 15,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। विश्लेषकों का मानना है कि एलआईसी का मूल्यांकन 8 से 10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि एलआईसी का मूल्यांकन 8 से 10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है

मूल्यांकन में शामिल एलआईसी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि निगम के पास अभी देश भर के अग्रणी शहरों में मुख्य इलाकों में कई संपत्तियां हैं। निगम में मूल्यांकन में इसका गहरा असर होगा।

बाजार

छोटी अवधि में अस्थिर रहेगा शेयर बाजार

जश कृपलानी

बजट में रियल एस्टेट, गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिए जाने और दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर में छूट की घरेलू निवेशकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरने के चलते बाजार विश्लेषक आने वाले कुछ समय के लिए बाजार में अस्थिरता का अनुमान लगा रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार को भी बाजार में बिकवाली का दबाव रहेगा हालांकि चीन द्वारा 173 अरब डॉलर बाजार में लाने के फैसले से थोड़ी राहत मिल सकती है। शनिवार को बाजार दिन के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ जिससे अगले कारोबारी दिन में बिकवाली का अंदेशा बना हुआ है।

शनिवार को सेंसेक्स 988 अंकों अथवा 2.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 39,736 अंक पर बंद हुआ? वहीं, निफ्टी में 300 अंक अथवा 2.51 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। शेयरखान में पूंजी बाजार रणनीति के प्रमुख गौरव दुआ कहते हैं, 'घरेलू आर्थिक मंदी तथा वैश्विक अनिश्चितता के मामले पर बाजार को बजट से अधिक उम्मीदें थीं। अगले कुछ दिनों में बाजार से तरलता छंट जाएगी।' विदेशी ब्रोकरेज फर्मों को लघु अवधि में कारोबार करने के लिए जोखिम रहित स्थिति की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा, 'लार्ज कैप तथा डिफेंसिव स्टॉक के हिसाब से लघु अवधि में बाजार में करेक्शन आ सकता है। हालांकि मध्यम अवधि में हमें उम्मीद है कि इक्विटि में वृद्धि दिखाई देगी।' ब्रेकरेज फर्म ने साल 2020 के अंत तक निफ्टी के 13,000 पर पहुंचने के अनुमान को बरकरार रखा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार से अस्थिरता के बादल छंटने में कुछ दिन का समय लग सकता है और वे तब तक 'बैठो तथा इंतजार करो' की नीति अपनाएंगे। महिंद्रा म्युचुअल फंड में मुख्य निवेश अधिकारी कृष्णा सांघवी ने कहा, 'अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बजट के दिन आई अस्थिरता केवल एक दिन की घटना थी। हमें इस सप्ताह बाजार की प्रतिक्रिया देखनी होगी क्योंकि कई संस्थागत निवेशक, विशेषकर एफपीआई ने शनिवार होने के कारण बजट वाले दिन कारोबार नहीं किया होगा।'

फंड प्रबंधकों का कहना है कि बाजार बजट से प्रभावित हुआ है और इसे पूरी तरह से स्थिर होने में समय लग सकता है।

बजट में विदेशी निवेशकों पर कर में राहत दी है जिसके चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) से निवेश बढ़ सकता है। एफपीआई के लिए लाभांश वितरण कर की गणना संधि समझौते पर की जाएगी और घरेलू कराधान दरों को लागू नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे एफपीआई के इक्विटी रिटर्न पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि शनिवार को एफपीआई ने 1,200 करोड़ रुपये की इक्विटी बेच दी।

फर्स्ट ग्लोबल के उपाध्यक्ष एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक शंकर शर्मा कहते हैं, 'कुल मिलाकर हम बजट को लेकर सकारात्मक हैं और हमारा मानना है कि धीरे धीरे बाजार बजट में मौजूद सकारात्मक पहलों को समझेगा।'

विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार बजट संबंधी फिजूल बातें समाप्त होने पर बाजार का ध्यान आय तथा वैश्विक संकेतकों के परिणामों पर केंद्रित होगा। एक फंड मैनेजर ने कहा, 'भविष्य में एफपीआई प्रवाह आर्थिक तथा आय संबंधी वृद्धि पर निर्भर करेगा।' घरेलू निवेशकों के लिए उम्मीद की जा रही है कि इक्विटी पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर की गणना के लिए होल्डिंग समय दो साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

आवासीय क्षेत्र

प्रोत्साहन के बावजूद नहीं बढ़ेगी मकानों की मांग

राघवेंद्र कामत और समरीन अहमद

आयकर की नई व्यवस्था में छूट समाप्त कर दिए जाने से डेवलपरों को आवासीय परिसंपत्तियों की मांग के संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह मानना है विशेषज्ञों का। नाइट फ्रैंक के चेयरमैन शिशिर बैजल ने कहा कि वास्तविक मसला यह है कि हाउसिंग में मांग कैसे बढ़ाई जाए। नई कर व्यवस्था में छूट समाप्त कर दी गई है, लिहाजा घर खरीदारों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ऐसे में आप मांग कैसे सृजित करेंगे, यह बड़ा मसला है।

कर व्यवस्था के सरलीकरण पर वित्त मंत्री ने कहा कि कई कर छूट की अब समाप्ति होगी। विश्लेषकों ने कहा कि आवासीय कर्ज के ब्याज पर छूट को लेकर भ्रम है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक आदिदेव चट्टोपाध्याय ने कहा, फरवरी 2020 का आम बजट नई कर व्यवस्था के तहत हाउसिंग लोन के ब्याज के तौर पर सालाना 2 लाख की छूट की समाप्ति इसके असर पर सवाल उठाता है।

चट्टोपाध्याय ने कहा कि इस पर अस्पष्टता है कि क्या हम 80 ईईए के तहत 1.5 लाख रुपये सालाना अफोर्डेबेल हाउसिंग लोन के ब्याज पर अतिरिक्त कर का फायदा ले सकते हैं या नहीं।।

बेंगलूरु की शोभा डेवलपर्स के वाइस चेयरमैन जे सी शर्मा ने कहा, वेतनभोगी कर्मचारी पुरानी व्यवस्था के तहत छूट लेते रहेंगे और ऐसे में नई मांग में चुनौती नहीं देखने को मिलेगी।

नाइट फ्रैंक के बैजल ने कहा, जब तक कि हर कीमत श्रेणी में मांग जोर नहीं पकड़ती, रियल एस्टेट में वास्तविक सुधार नहीं होगा। संपत्तियों के दो सबसे बड़े बाजार में पहले ही काफी इन्वेंट्री जमा हो गई है। मुंबई इलाके में अधिकतम बिना बिकी इन्वेंट्री 51,721 है जबकि एनसीआर में 49,027।

एएसके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मुख्य कार्याधिकारी अमित भगत ने कहा, ऊपरी मध्य श्रेणी में मांग के मुकाबले आपूर्ति ज्यादा है, लेकिन निचली श्रेणी में आपूर्ति के मुकाबले मांग ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल रियल एस्टेट के निदेशक और प्रमुख शरद मित्तल ने कहा, सरकार पिछले चार साल से अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। लेकिन इस पर चलना उद्योग पर निर्भर है।

भगत ने कहा कि सर्किल रेट और लेनदेन के बीच अंतर में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का सरकार का कदम बाजार के लिहाज से अच्छा कदम है। उन्होंने कहा, कर अधिकारियों की परेशानी से खरीदारों को बचाने के लिए सरकार हस्तक्षेप काफी लंबा सफर तय करेगा।

हालांकि मोतीलाल ओसवाल के मित्तल ने कहा कि इस कदम से मांग में तेजी नहीं आएगी।

कोरोनावायरस वजह से बाजार में अस्थिरता

पृष्ठ-1 का शेष

कर्ज कम करने के लंबे चक्र और संकटग्रस्त वित्तीय क्षेत्र की वजह से मौजूदा मंदी से वृद्धि में सुधार आने में लंबा समय लगेगा। हमारा अनुमान है कि आरबीआई नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा और 6 फरवरी को अगली नीतिगत समीक्षा में तटस्थ रुख बनाए रखेगा।' कोटक सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 में आमदनी में बढ़ोतरी की गुणवत्ता 'काफी कमजोर' रहेगी क्योंकि आमदनी में 74 फीसदी बढ़ोतरी बैंकों, तेल एवं गैस और धातु एवं खनन क्षेत्रों की बदौलत होती है।

उनका मानना है कि बजट प्रस्तावों का खपत या निवेश मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के प्रबंध निदेशक और सह-प्रमुख संजीव प्रसाद की अगुआई वाले विश्लेषकों ने कहा, 'इन क्षेत्रों की आमदनी में तगड़ी वृद्धि बैंकों और दूरसंचार कंपनियों का वित्त वर्ष 2020 में निम्न आधार और वित्त वर्ष 2021 के वैश्विक आर्थिक सुधार को दर्शाती है।

अगर अगले कुछ सप्ताह में कोरोनावायरस का मुद्दा गंभीर बनता है और यह एक वैश्विक महामारी की शक्ल लेती है तो आमदनी निराश कर सकती है।'बजट आ चुका है, इसलिए एवेंडस कैपिटल स्ट्रेटजी के मुख्य कार्याधिकारी एंड्रयू हॉलैंड का अनुमान है कि बाजार घरेलू अर्थव्यवस्था की सुस्ती को मद्देनजर रखते हुए वैश्विक कारकों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे।

ऑनलाइन कारोबार

ई-कॉमर्स पर भारी पड़ सकता है नया कर

लेन देन पर 1 प्रतिशत टीडीएस से विक्रेताओं का पैसा फंसेगा, ई-कॉमर्स कंपनियों की अनुपालन लागत बढ़ेगी

पीरजादा अबरार, नेहा अलावधी और समरीन अहमद

सरकार द्वारा बजट में ई-कॉमर्स संबंधी लेन-देन में 1 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर) लगाए जाने के प्रस्ताव से एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, मिंत्रा, जोमैटो, स्विगी व अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ ऐसे प्लेटफॉर्मों पर माल बेचने वालों पर बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके साथ ही इन प्लेटफॉर्मों से खरीदारी करनेवालों को और ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका एक मतलब यह भी है कि इन प्लेटफॉर्मों पर माल बेचने वालों पर भी बुरा असर पड़ेगा। यह प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा और इसे आयकर अधिनियम की नई धारा में डाला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे ई-कॉमर्स कंपनियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित होगी और ई-विक्रेताओं की नकदी का प्रवाह कम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियों को पहले ही वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत 1 प्रतिशत टीडीएस काटना पड़ रहा है।

टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञता वाली नई दिल्ली की कानूनी फर्म टेकलेजिस एडवोकेट्स ऐंड सोलिसिटर्स के मैनेजिंग पार्टनर सलमान वारिस ने कहा कि ई कॉमर्स के लेन देन पर आयकर अधियिनम के तहत एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का प्रस्तावित नया शुल्क ई-कॉमर्स कंपनियों की कार्यशील पूंजी पर असर डालेगा और ई-विक्रेताओं के लिए नकदी का प्रवाह कम करेगा। वारिस ने कहा, 'जब तक कि मौजूदा प्रक्रिया में राहत नहीं दी जाती है, इस प्रावधान से अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और आगे ई-कॉमर्स कंपनियों के अनुपालन की लागत और बढ़ेगी।'

बजट दस्तावेजों में ई-कॉमर्स ऑपरेटर को 'डिजिटल प्लेटफॉर्म की मालिकाना, परिचालन या प्रबंधन वाली कंपनी' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ई-कॉमर्स साझेदार को 'भारत में रहने वाले व्यक्ति, जो सामान बेचता है, या सेवाएं मुहैया कराता है या दोनों करता है, और डिजिटल उत्पाद, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है।' इस परिभाषा से इसकी सीमा बहुत व्यापक हो गई है।

एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारी ने कहा कि इस कदम से विक्रेताओं की नकदी पर असर पड़ेगा और उनके लिए समस्या पैदा होगी।

अधिकारी ने नाम न देने की शर्त पर कहा, 'नकदी सरकार की रिफंड व्यवस्था में फंस जाएगी। कारोबार करने वाले ज्यादातर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम हैं।' उन्होंने कहा, 'जीएसटी कानून के तहत पहले ही कर कटौती की जा रही थी और सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, जिससे वह संदिग्ध कर चोरी की जांच कर सकती है। अब आयकर अधिनिचम के तहत टीडीएस लगाए जाने से ई-कॉमर्स कंपनियों के अनुपालन का बोझ बढ़ेगा और एसएमई के लिए नकदी का संकट और बढ़ाएगा। सरकार को कोई अतिरिक्त आंकड़ा भी इससे नहीं मिलने जा रहा है।'

इसका सबसे ज्यादा असर स्वाभाविक रूप से एमेजॉन और वालमार्ट की फ्लिपकार्ट जैसे मार्केटप्लेस पर ज्यादा पड़ेगा। एमेजॉन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इसका विस्तार से अध्ययन कर रही है और स्पष्टीकरण के लिए सरकार से संपर्क करेगी। प्रवक्ता ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि कर सरल और एकसमान होगा, जिससे कि लाखों की संख्या में छोटे और मझोले उद्यमी ऑनलाइन कारोबार कर सकें, अपने परिचालन का डिजिटलीकरण कर सकें और बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो।'

फ्लिपकार्ट ने भी कहा कि वह विस्तृत ब्योरे का अध्ययन कर रही है। खासकर देख रही है कि उसके मार्केटप्लेस पर बिक्री करने वाले एमएसएमई और विक्रेताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा, 'हम अपने विक्रेता साझेदारों के साथ आगे और चर्चा करेंगे और सरकार व अन्य हिस्सेदारों से इसके बारे में बात करेंगे।'

हालांकि 1 प्रतिशत टीडीएस प्लेटफॉर्म के उन विक्रेताओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी सालाना बिक्री 5 लाख रुपये से ज्यादा न हो, फिर भी बड़ी संख्या में विक्रेता इससे प्रभावित होंगे। रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आरएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन ने कहा कि इस कदम से मार्केटप्लेस पर विक्रेताओं के लेन देन का पता लगाने की क्षमता बढ़ेगी, जो रातोंरात भाग जाने वाले वाले विक्रेताओं को बाहर करने के लिए बहुत जरूरी है।

राजगोपालन ने कहा, 'बहरहाल इससे उचित विक्रेताओं को भी नकदी का संकट हो सकता है। आदर्श रूप में टीडीएस के बजाय जीएसटी की जरूरत थी।' उन्होंने कहा कि ज्यादातर खुदरा कारोबारियों का शुद्ध कारोबारी मुनाफा 3 प्रतिशत के करीब होता है और इसका मतलब यह है कि उनकी आमदनी की करीब 33 प्रतिशत राशि टीडीएस में फंस जाएगी।

कानून फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में अंतरराष्ट्रीय कराधान के प्रमुख दक्षा बख्शी ने कहा कि प्रावधान का यह भी मकसद है कि किसी के द्वारा की जा रही कमाई से संबंधित सूचना मिल सके और जो भी न्यूनतम कर है, उसका संग्रह किया जा सके। बख्शी ने कहा, 'निश्चित रूप से इससे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के अनुपालन का बोझ बढ़ेगा और और सेवा प्रदाता या विक्रेता की 1 प्रतिशत नकदी फंसेगी।' उन्होंने कहा, 'बहरहाल यह जहां कस्टप्रद प्रक्रिया है और नकदी फंसेगी, लेकिन इससे कम कर संग्रह की समस्या खत्म होगी और सरकार को पूरी सूचना न देने की स्थिति खत्म होगी।'

ईवाई इंडिया में ई-कॉमर्स और कंज्यूमर इंटरनेट के नैशनल लीडर अंकुर पाहवा का कहना है, 'इस प्रावधान से विक्रेताओं की नकदी फंसेगी। खासकर उनकी समस्या बढ़ेगदी, जो बहुत मामूली मुनाफे पर काम करते हैं।' पाहवा ने कहा, 'ऐसे कारोबारियों से कर अधिकारियों द्वारा कम विदहोल्डिंग टैक्स (डब्ल्यूएचटी) के लिए कहा जा सकता है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया श्रमसाध्य और समय खाने वाली होगी।' उन्होंने कहा कि मार्केट प्लेटफॉर्म कारोबारियो की डब्ल्यूएचटी अनुपालन और संबंधित लागत बढ़ेगी। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर अनिल तलरेजा ने कहा, 'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के

एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, मिंत्रा, जोमैटो, स्विगी व अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों से खरीदारी महंगी होगी

विक्रेता या सेवा प्रदाताओं को नकदी के संकट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि विदहोल्डिंग खाते में उनका पैसा फंस सकता है।'

ताजा कदम से विश्व व्यापार संगठन के कुछ नियमों से भी टकराव संभव है। इस समय बहुराष्ट्रीय भुगतान सेवा प्रदाता जैसे वीसा और मास्टरकार्ट का ज्यादातर भुगतान गेटवे में हस्तक्षेप होता है। अगले कुछ साल में भारत में डिजिटल भुगतान में तेज बढ़ोतरी की संभावना है ऐसे में सरकार का मानना है कि लेन देन पर कर न लगाने से अवसर चूक सकता है। अब सीमा शुल्क लगाने के बजाय सरकार आयकर कानून में बदलाव करने जा रही है। इसके पहले सरकार ने संकेत दिए थे कि वह इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पर आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (आई) के तहत कर लगाने को इच्छुक है।

खाद्य सब्सिडी

1,36,600 करोड़ रुपये उधार लेगा एफसीआई

एफसीआई की इतनी बड़ी उधारी योजना से यह बात लगभग साफ हो जाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में एफसीआई के लिए खाद्य सब्सिडी की कम रकम का प्रावधान किया गया

संजीव मुखर्जी

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राष्ट्रीय लघु बचत कोष(एनएसएसएफ) से 1,36,600 करोड़ रुपये उधार लेगा। पिछले पांच वर्षों में उधार ली गई यह सबसे बड़ी रकम होगी और पिछले साल के मुकाबले करीब 24 प्रतिशत अधिक होगी। बजट पत्र के अनुसार एफसीआई वर्ष 2020-21 में खाद्य सब्सिडी से निपटने के लिए यह रकम उधार लेगा।

एफसीआई को करीब 2,14,582 करोड़ रुपये की जरूरत

एफसीआई की इतनी बड़ी उधारी योजना से यह बात लगभग साफ हो जाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में एफसीआई के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए रकम का कम प्रावधान किया गया है। बजट में आवंटित 77,982 करोड़ रुपये के साथ किसनों से अनाज खरीदने और लाखों राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर बेचने के लिए एफसीआई के पास करीब 2,14,582 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार बजट में आवंटित पूरी रकम जारी करती है और उसमें कोई कमी नहीं होती है।

बजट पत्र के अनुसार चालू वित्त वर्ष (2019-20) में एफसीआई के लिए बजट आवंटन बजट अनुमान के 1,51,000 करोड़ रुपये घटाकर संशोधित अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये कर दिया। हालांकि एनएसएसएफ से आए 1,10,000 करोड़ रुपये ऋण से खासी मदद मिली और एफसीआई ने इनमें खाद्य सब्सिडी के रूप में 1,85,000 करोड़ रुपये खर्च किए। सब्सिडी की रकम में एनएफएसए के तहत एफसीआई द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद पर खाद्यान्न की खरीदारी शामिल नहीं होती है। एनएसएसएफ से अंधाधुन ऋण लेने से 2020-21 के अंत तक एफसीआई पर एनएसएसएफ का कुल बकाया करीब 3,22,800 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसमें पिछले वर्ष एफसीआई द्वारा लिए गए 68,400 करोड़ रुपये ऋण लौटाए जाने के बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया है। 31 मार्च 2020 तक यह कुल रकम बढ़कर करीब 2,54,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। अगर सरकार ने 2019-20 में खाद्य सब्सिडी के मद में आवंटित पूरी 1,51,000 करोड़ रुपये एफसीआई का दे देती तो यह आंकड़ा कम हो सकता था। हालांकि संशोधित अनुमान के अनुसार सरकार ने महज 75,000 करोड़ रुपये ही जारी किए।

एफसीआई एक बड़ी बकाया रकम के बोझ से जूझ रहा है। वर्ष 2016-17 से इसे खाद्य सब्सिडी के मद में मिलने वाली रकम का ज्यादातर हिस्सा बजट से इतर उपायों से मिलता रहा है। इनमें ज्यादातर रकम एनएसएसएफ से कर्ज के रूप में मिलती रही है। वर्ष 2019-20 में एफसीआई पिछले वर्षों में लिए गए ऋण के लिए एनएसएसएफ को करीब 46,400 करोड़ रुपये लौटाने पड़े। 2018-19 में एफसीआई ने एनएएसएसएफ को 27,000 करोड़ रुपये लौटाए।

चालू वित्त वर्ष में एफसीआई की वित्तीय बदहाली की हालत की एक वजह यह रही कि इसने आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की खरीदारी की। यह मात्रा पिछले कुछ वर्षों में राशन दुकानों से खाद्यान्न के वितरण के मुकाबले कहीं अधिक रही। इसके अलावा खाद्यान्न की कीमतों की सीमा तय होने से भी एफसीआई के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। राशन दुकानों से माध्यम से चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे जाते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि खाद्यान्न की कीमतों में प्रति किलोग्राम 1 रुपये बढ़ोतरी से सालाना खाद्य सब्सिडी के मद में 5,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

वर्ष 2018-19 में एफसीआई ने राज्यों को चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहू 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जारी किए। इन दोनों खाद्यान्न का मूल्य प्रति किलोग्राम क्रमशः 33.1 रुपये और 24.45 रुपये है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि देश भर में 5 लाख से अधिक राशन दुकानों के माध्यम से प्रति किलोग्राम चावल की बिक्री पर सरकार को 30 रुपये सब्सिडी देनी पड़ती है। इसी तरह, गेहूं पर यह सब्सिडी बढ़कर प्रति किलोग्राम 22.45 रुपये हो जाती है।

कॉर्पोरेट कर

कंपनी कर 12 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य ज्यादा

देव चटर्जी

सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि मौजूदा वर्ष में वह कंपनी कर के संग्रह का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने अगले वित्त वर्ष के लिए भारतीय कंपनी जगत से कर संग्रह में 12 फीसदी की बढ़ोतरी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। एक बड़ी कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी ने कहा, कंपनी जगत से कर संग्रह का लक्ष्य अवास्तविक है और काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी भी, खास तौस से जब सरकार ने कर में भारी कटौती का ऐलान किया है।

कर संग्रह के लक्ष्य में बढ़ोतरी उस समय हुई है जब उपभोक्ता का खर्च और बिक्री की रफ्तार घट रही है और ज्यादातर कंपनियां नई क्षमता पर निवेश नहीं कर रही हैं। फैक्टरियों में क्षमता इस्तेमाल का औसत स्तर करीब 76 फीसदी है और बिजली उत्पादन घट रहा है।

वित्त वर्ष 2019 के लिए संशोधित अनुमान में सरकार उम्मीद कर रही है कि कंपनी कर संग्रह की दर घटकर 8 फीसदी रह जाएगी, जिसकी मुख्य वजह कंपनी कर की दर में पिछले साल अक्टूबर में की गई कटौती का ऐलान है। कंपनी कर कटौती 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। सीईओ ने कहा कि कंपनी कर का लक्ष्य आक्रामक नजर आ रहा है और यह नहीं बताया गया है कि सरकार इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी। विदेशी ब्रोकरेज फर्म के एक विश्लेषक ने कहा, जब तक कर अनुपालन में तीव्र बढ़ोतरी नहीं होती, हमें लगता है कि सरकार को मौजूदा खर्च में कटौती करनी होगी जैसा कि वित्त वर्ष 2020 में देखा गया था।

भारत में कंपनी कर

वित्त वर्ष	कर सालाना (करोड़ रुपये)	बढ़ोतरी (फीसदी)
2015-16	4,53,228	5.7
2016-17	4,84,924	7.0
2017-18	5,71,202	17.8
2018-19	6,63,572	16.2
2019-20	6,10,500	-8.0
2020-21	6,81,000	11.5

स्रोत : बजट दस्तावेज
संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

एक अन्य विश्लेषक ने कहा, इसके अलावा सालाना आधार पर जीडीपी में 10 फीसदी की नॉमिनल बढ़ोतरी और सकल कर राजस्व में सालाना आधार पर 12 फीसदी की बढ़ोतरी से कर में उछाल 1.2 फीसदी बैठता है। जीडीपी में 10 फीसदी की नॉमिनल बढ़ोतरी कैसे होगी, यह रहस्य है। कुल मिलाकर विश्लेषकों का अनुमान है कि सरकार का शुद्ध राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में बजट अनुमान से करीब 60,000 करोड़ रुपये कम रह सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुमान में ये बातें कही गई है।

आयातित कागज पर कर

मीडिया कंपनियों को होगा लाभ

विवेट सुजन पिंटो

विशेषज्ञों के मुताबिक आयातित न्यूजप्रिंट पर सीमा शुल्क में कटौती से मीडिया कंपनी क्षेत्र को ऐसे समय में फायदा होगा, जब विज्ञापन राजस्व पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आयातित न्यूजप्रिंट पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि उद्योग जगत की ओर से कई बार बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है। प्रिंट मीडिया कंपनियों के शीर्ष निकाय इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने आयातित न्यूजप्रिंट और लाइट वेट कोटेड पेपर से सीमा शुल्क पूरी तरह से खत्म किए जाने की मांग की थी। उसने कहा है कि आंशिक कर वापसी से भी इस क्षेत्र को फायदा होगा।

आईएनएस के सूत्रों ने कहा कि भारत में करीब 15 लाख टन स्टैंडर्ड न्यूजप्रिंट का आयात होता है, जो भारत में खपत होने वाले कुल न्यूजप्रिंट का करीब 60 प्रतिशत है।

मीडिया के विशेषज्ञों ने कहा कि

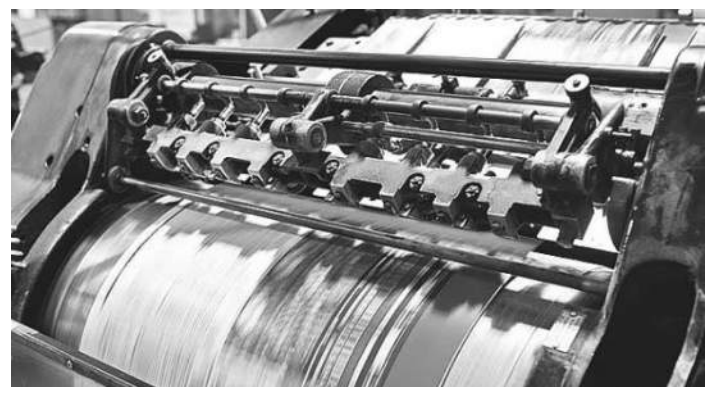

आयातित न्यूजप्रिंट पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है

न्यूजपेपर कंपनियों की न्यूजप्रिंट की कुल लागत उनके कुल खर्च का करीब 50 प्रतिशत होती है। आयातित न्यूजप्रिंट की हिस्सेदारी इसमें 45 प्रतिशत है। एलारा कैपिटल के वाइस प्रेसीडेंट, रिसर्च, करण तुरानी ने कहा कि कर मे कमी किए जाने से मुनाफे में 50 आधार अंकों का सुधार होगा। पिछली कुछ तिमाही के दौरान प्रिंट मीडिया का विज्ञापन राजस्व गिरा है क्योंकि खपत में मंदी और डिजिटल मीडिया का इस पर असर पड़ा है।

देंत्सु एजिस नेटवर्क की पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में कुल विज्ञापन बाजार में डिजिटल विज्ञापन की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत हो जाएगी, जो टेलीविजन और प्रिंट के बाद तीसरा बड़ा क्षेत्र होगा। बहरहाल पिछले 5 साल में डिजिटल विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन से आगे बढ़ गया है, जिसकी देश के कुल विज्ञापन में हिस्सेदारी करीब आधी है।

जलापूर्ति व्यवस्था

जल जीवन मिशन पर सरकार का जोर

रुचिका चित्रवंशी

बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से 2020-21 में 1.15 करोड़ मकानों में नल से कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए कुल आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष मे 10,000 करोड़ रुपये था।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण मकानों में से 14.6 करोड़ मकानों में अभी पानी पहुंचाया जाना बाकी है। सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 2024 तक के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है। कुल अनुमानित खर्च में केंद्र की हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपये होगी।

जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को बड़े लक्ष्य के हिसाब से कम धन मिला है। इसका मतलब यह भी है कि कि जो परियोजनाएं पूरी होने के करीब हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

इस मिशन को उपभोग आधारित दृष्टिकोण के मॉडल पर तैयार किया गया है। इसमें संस्थानों को सेवाओं पर दद्यान देना होता है और जल शुल्क या उपभोक शुल्क लिया जाता है। केंद्र सरकार के हिस्से में जमीन की खरीद, नियमित कर्मचारी के वेतन, बिजली के शुल्क जैसी परिचालन व रखरखाव पर आने वाले खर्च को शामिल करने की अनुमति नहीं दी गई है।

बजट में तमाम सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों को गिनाया गया है, जो नल से आपूर्ति मुहैया कराने पर मिलेगी। अब तक इन मानकों के हिसाब से लक्ष्य नहीं रखा जाता था।

सरकार ने इस मद में 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया

जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार का मकसद गंभीर अतिसार की समस्याएं, कठिन परिश्रम से महिलाओं द्वारा पानी ढोकर लाने और प्राथमिक स्कूल से ऊपर बच्चियों की पढ़ाई बंद होने जैसी समस्याओं पर काबू पाना है। इस योजना के तहत पाइप से पानी पहुंचाने के लिए निर्माण के साथ परिचालन और रोजगार गतिविधियों में रोजगार के सृजन की संभावना है। इसके अलावा सरकार उन इलाकों को चिह्नित कर सकती है, जहां पर्याप्त मात्रा में भूजल आपूर्ति हो रही है और ऐसी जगहों पर पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी और पानी का कनेक्शन इस परियोजना को लागू किया जाएगा। बजट में अटल भूजल योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह केंद्र सरकार की भूजल योजना है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था। पिछले साल इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

बजट दस्तावेज में कहा गया था, 'प्रस्तावित नई योजना अटल भूजल योजना के लिए सांकेतिक धन का आवंटन किया गया है, इसका मकसद भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसे प्रोत्साहित करना है।' इसके साथ ही हर खेत को पानी योजना के तहत बजट में 30 करोड़ रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई है। 2020-21 के बजट में इसके लिए 1,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बीएस सूडोकू 3654 | परिणाम संख्या 3653

				4				9
	8				1	6	3	
7	1						5	
1			7	3		9		
	3						4	
		9		5	6			3
	9						2	1
	4	3	9				6	
5				6				

5	6	9	3	7	2	8	1	4
7	8	4	9	5	1	6	3	2
2	3	1	6	8	4	5	9	7
1	5	7	8	9	3	4	2	6
8	9	3	2	4	6	1	7	5
4	2	6	5	1	7	3	8	9
6	7	2	4	3	8	9	5	1
3	4	5	1	2	9	7	6	8
9	1	8	7	6	5	2	4	3

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को मिलेगी मदद

सरकार की कर संबंधित कोशिश का उद्देश्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है

अमृता पिल्लई और श्रेया जय

नई परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट कर में रियायत देने के वित्त मंत्रालय के निर्णय से सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी और आगामी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को फायदा होगा।

शनिवार को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट कर दर के दायरे में विद्युत निर्माण से जुड़ी नई घरेलू कंपनियों को भी शामिल कर रहा है जिससे कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

हालांकि इस क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि एनटीपीसी के अलावा कोई अन्य कंपनी ताप विद्युत क्षेत्र में नई परियोजना की योजना नहीं बना रही है। भारत की इस सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी के ऑर्डर प्रवाह में अगले तीन वर्षों के लिए 20 जीडब्ल्यू क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए निवेश निर्धारित किया है। साथ ही भारत ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू तक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें से 85 जीडब्ल्यू को शुरू किया जा चुका है।

हालांकि कुछ उद्योग दिग्गजों ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से चिंता जताई है कि क्या कर रियायत नई परियोजनाओं या फिर दोनों के लिए लागू होगी। किसी भी मामले में, इन विद्युत संयंत्रों से दरें नीचे आएंगी। पीडब्ल्यूसी इंडिया के लीडर (सरकारी सुधार और बुनियादी ढांचा विकास) कामेश्वर राव ने कहा कि नई विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर नई कंपनियों के साथ साथ नए विद्युत संयंत्रों के लिए भी लागू होना चाहिए।राव ने कहा, 'हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या नई व्यवस्था रुकी हुए पनबिजली संयंत्रों और वॉशरीज जैसी सहायक इकाइयों के लिए भी लागू होगी। मुख्य लाभार्थी उपभोक्ता होगा, क्योंकि इस उत्पादित बिजली की लागत सस्ती है। कंपनियां कम दर की वजह से मेरिट ऑर्डर में अनुकूल स्थिति का भी लाभ उठाने की स्थिति में हैं।' क्रिसिल ने बजट के बाद अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस निर्णय से अक्षय ऊर्जा कंपनियों के इक्विटी आईआरआर (प्रतिफल की आंतरिक दर) में 80-100 आधार अंक और पारंपरिक परियोजनाओं के लिए 50-60 आधार अंक की वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत में निजी इक्विटी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र इसे लेकर उत्साहित है कि भविष्य में ताप विद्युत परियोजनाओं का ऑर्डर प्रवाह मौजूद नहीं होने से उसे ज्यादा फायदा होगा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने एक अलग निर्णय में उन ताप विद्युत संयंत्रों को बंद किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जिनमें उत्सर्जन स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हो। क्रिसिल ने कहा है कि लगभग 10 जीडब्ल्यू के ताप विद्युत संयंत्र इससे प्रभावित हो सकते हैं। क्रिसिल ने कहा है, 'इससे क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।'

आयातित सौर उपकरणों के शुल्क पर अनिश्चितता

शनिवार को पेश हुए बजट में आयातित सोलर सेल और मॉड्यूल्स पर प्रस्तावित बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) को लेकर सौर विद्युत उत्पादक अनिश्चितता की स्थिति में हैं। बजट भाषण में सीमा शुल्क के दायरे में दो नए मदों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई। बजट में सोलर उपकरण पर 29 प्रतिशत बीसीडी लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि 'सौर बैटरियों (असेंबल नहीं)' और 'सौर बैटरियों (मॉड्यूल्स में असेंबल या पैनलों में निर्मित)' जैसे उत्पादों पर शुल्क दर 20 प्रतिशत है। बजट में कहा गया है कि हालांकि इन उत्पादों के लिए शून्य बीसीडी बरकरार रहेगा। हालांकि राजस्व विभाग की 2005 की सूचना के अनुसार हालांकि सोलर बैटरियों और मॉड्यूल्स (आइटम नंबर 8541 के तहत) को बीसीडी से छूट हासिल है। इससे स्पष्ट होता है कि आयातित सोलर सेलस और मॉड्यूल्स पर बीसीडी लागू नहीं है। खासकर चीन से आने वाले आयातित सोलर सेल और मॉड्यूल पर 15 प्रतिशत का सेफगार्ड शुल्क लागू है।

कॉरपोरेट कर में रियायत से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मदद मिलने की संभावना है

इनविट

इनविट को राहत से पीएसयू में दम!

अमृता पिल्लई

सॉवरिन वेल्थ फंडों के लिए कर रियायत और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (इनविट) में निवेश के लिए कर लाभ से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलेगी। उद्योग के जानकार ताजा बजट घोषणा को इनविट और टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मोड (टीओटी), दोनों में निवेश के लिए सकारात्मक मान रहे हैं।

बजट भाषण में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा था कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सॉवरिन वेल्थ फंडों से निवेश बढ़ाने के प्रयास में उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के संबंध में 100 प्रतिशत कर छूट की अनुमति होगी। ये निवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य 36 अधिसूचित क्षेत्रों में 31 मार्च 2024 से पहले किए जाएंगे और इनकी अधिकतम लॉक-इन अवधि 3 साल की होगी। केयर रेटिंग्स में सहायक निदेशक (ग्रुप हेड-इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड प्रोजेक्ट फाइनैंस) रतनम राजू ने कहा, 'सॉवरिन फंडों को रियायत से देश को अपने निवेश बिक्री अभियान को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर का जीआईसी भारत में निवेश वाले कुछ प्रमुख सॉवरिन वेल्थ फंड हैं।'वित्त विधेयक में ये प्रोत्साहन किसी अन्य देश की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व एवं नियंत्रित सॉवरिन वेल्थ फंडों के लिए लागू होंगे। उद्योग के जानकारों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अनुमति के लिए परिभाषा का दायरा अधिक सॉवरिन वेल्थ फंडों को पात्र बनाने के मकसद से व्यापक किया गया है। इक्रा के लिए कॉरपोरेट रेटिंग्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं समूह प्रमुख शुभम जैन ने कहा, 'सॉवरिन वेल्थ फंडों को रियायतें दिए जाने और गैर-सूचीबद्ध इनविट के लिए कर लाभ का दायरा बढ़ाए जाने से सरकार को इनविट के लिए ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे बड़ी मदद मिल सकती है और यह एनएचएआई तथा सरकार संचालित अन्य इकाइयों के इनविट की योजनाओं के अनुरूप है।' इसके अलावा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) हटने से एनएचएआई जैसे सरकारी प्राधिकरणों को टीओटी मॉडल के तहत सड़कों में अधिक दिलचस्पी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। केयर रेटिंग्स के राजू ने कहा, 'सड़क क्षेत्र में, ये प्रोत्साहन टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में सॉवरिन फंडों से ज्यादा निवेश आकर्षित करेंगे। ये परिसंपत्ति बिक्री के मुख्य थीम के अनुरूप उठाए गए कदम हैं।'

इनविट, टीओटी के लिए लाभ-नुकसान

लाभ

- भारत में निवेश के लिए सॉवरिन वेल्थ फंडों को प्रोत्साहन
- टीओटी मॉडल में निवेशकों पर डीडीटी नहीं
- सूचीबद्ध, गैर-सूचीबद्ध इनविट के लिए कर लाभ

नुकसान

- आईपीओ की तुलना में इनविट का चयन करने वाले प्रवर्तकों के लिए कर लाभ नहीं
- इनविट में भारतीय निवेशकों को लाभांश आय पर अधिक कर चुकाना होगा

इन्फ्रास्ट्रक्चर

एनएचएआई अगले साल लेगा कम उधार

मेघा मनचंदा

बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए सरकार का आवंटन उस रोडमैप के मुताबिक नहीं है, जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना में पेश किया गया है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना में वित्त वर्ष 2020 में करीब 4.9 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021 में 6.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 1.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा।

राजमार्ग क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कर्ज के बोझ ने अगले साल के अनुमानों पर दबाव बढ़ा दिया है। एचएचएआई की कर्ज सीमा करीब 13.3 फीसदी घटकर 65,000 करोड़ रुपये पर आ गई है। यह पिछले कुछ वर्षों में पहली कमी है। सरकार ने एनएचएआई के लिए बजट मदद करीब 16 फीसदी बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद एनएचएआई के व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

एनएचएआई का कुल व्यय 2020-21 में करीब चार फीसदी घटकर 1,07,500 करोड़ रुपये रहेगा, जो 2019-20 में 1,11,691 करोड़ रुपये था। प्राधिकरण के लिए चालू वित्त वर्ष में बजट सहायता 36,691 करोड़ रुपये है, जिसे वित्त वर्ष 2021 के लिए बढ़ाकर 42,500 करोड़ रुपये किया गया है। सड़क और पुलों के लिए कुल नियोजित व्यय 1,42,245 करोड़ रुपये है, जिसके लिए सरकारी सहायता 77,245 करोड़ रुपये है। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर पीयूष नायडू ने कहा, 'वर्ष 2019 से 2025 के लिए राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना (एनआईपी) में परिवहन (सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे) पर करीब 35.7 लाख करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2020 में करीब 4.9 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2021 में 6.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस बजट में वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 में परिवहन बुनियादी ढांचे के ळिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। यह पिछले साल के बजट 1.6 लाख करोड़ रुपये से मामूली अधिक है।'

> एचएचएआई की कर्ज सीमा करीब 13.3 फीसदी घटकर 65,000 करोड़ रुपये पर आ गई है। यह पिछले कुछ वर्षों में पहली कमी है

ऐसा लगता है कि एनएचएआई के उधारी लक्ष्य में कमी इसलिए की गई है क्योंकि इसके कर्ज के बोझ को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि इसका मतलब होगा कि सरकार की निजी निवेश पर निर्भरता बढ़ेगी।

कुल पूंजीगत खर्च में रेलवे और सड़क का हिस्सा करीब 30 फीसदी है, जबकि रक्षा क्षेत्र का हिस्सा 30 फीसदी है। 1.03 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना में विभिन्न क्षेत्रों की 6,500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं और उन्हें अपने आकार और विकास के चरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

इन नई परियोजनाओं में आवास, साफ पेयजल, स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान, आधुनिक रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल, मेट्रो और रेलवे परिवहन, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

नई आयकर व्यवस्था

नई व्यवस्था से कुछ करदाताओं को फायदा

भाषा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वैकल्पिक आयकर व्यवस्था के जटिल होने के विशेषज्ञों के दावों के बीच रविवार को कहा कि इससे कुछ आय वर्ग के करदाताओं को निश्चित तौर पर लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आयकर व्यवस्था में अचानक बदलाव से करदाताओं पर दबाव नहीं पड़े इसलिए नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट में नई आयकर व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के तहत कई तरह की छूट और कटौतियों को समाप्त किया गया है। हालांकि, सरकार ने शनिवार शाम को ही स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन कुछ छूटों और कटौतियों की सूची जारी की है, जो नई कर व्यवस्था में भी लागू रहेंगे।

उन्होंने कहा, पिछली रात कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए, आज और जारी किए जाएंगे। अगर लोगों को पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में नई व्यवस्था में अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा, तो मैं ऐसी कोई व्यवस्था लाती ही क्यों? उन्होंने नई कर व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि हो सकता है इससे सभी करदाताओं को लाभ नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ आयवर्ग में आने वाले करदाताओं को लाभ होगा। सरकार ने व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया है। हालांकि, विशषज्ञों का मानना है कि कॉरपोरेट आयकर की तरह व्यक्तिगत आयकर के मामले में भी वैकल्पिक व्यवस्था से प्रणाली में सिर्फ जटिलता ही आएगी। क्लियरटैक्स के संस्थापक अर्चित गुप्ता ने कहा, वैकल्पिक नई व्यवस्था के कारण करदाताओं को इसका मूल्यांकन करना होगा कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था लाभदायक है। दीर्घकालिक बचत को प्रतिबद्ध तथा 80सी के माध्यम से निवेश कर रहे करदाताओं को निराशा हाथ लगेगी और संभव है कि कर बचत करने वाली संपत्ति श्रेणियों में निवेश करने के बारे में वे हतोत्साहित हों।

वैकल्पिक कर व्यवस्था से करदाताओं में बढ़ेगी अनिश्चितता

बायोकॉन की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने ट्वीट किया कि छूट समाप्त करने से व्यक्तिगत आयकरदाताओं को नुकसान होगा तथा उपभोक्ता खर्च पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा की सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने का कदम उठाया है, लेकिन अचानक होने वाले बदलाव से करदाता दबाव में नहीं आएं और उन्हें नई प्रणाली को समझने का समय मिले, इसलिए नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं का विकल्प रखा है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर की सात स्लैब वाली नई व्यवस्था की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई व्यवस्था से करदाताओं पर बोझ कम होगा। पुरानी व्यवस्था में जहां पांच लाख तक, पांच से दस लाख तक और दस लाख रुपये से अधिक की आय पर क्रमश: पांच, 20 और 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाने का प्रावधान है, वहीं नए ढांचे में 15 लाख रुपये तक आय के विभिन्न स्तरों पर पांच, दस, 15, 20, 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से कर का प्रस्ताव किया गया है। संवाददाताओं के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, पिछले कई सालों के दौरान जितनी सरकारें आई उन्होंने एक के बाद एक नई रियायतें इसमें जोड़ी हैं। कुल मिलाकर आयकर कानून में अब तक 120 तक छूट, रियायतें जुड़ गईं। नए करदाता इस पूरी सूची में अपनी सहूलियत के मुताबिक रियायत को तलाशते हैं।

नई व्यवस्था में जाने पर क्या बचत को मिलने वाला प्रोत्साहन समाप्त नहीं हो जाएगा? इस सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, बचत करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। आप खर्च कीजिए, बचत कीजिए यह पूरी तरह आपके विवेक पर है। लेकिन पूरी व्यवस्था में सुधार लाने के बारे में सोचना होगा।

बीएसएनएल में वीआरएस लेने वालों को करना होगा लंबा इंतजार

मेघा मनचंदा

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को अपना बकाया राशि हासिल करने के लिए अगले वित्त वर्ष (2020-21) तक का इंतजार करना होगा।

ऐसा इसलिए है कि केंद्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष में इसके लिए खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट के मुताबिक कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण 37,268.42 करोड़ रुपये के भुगतान, 4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजी डालने और जीएसटी के भुगतान के लिए अनुदान को अगले वित्त वर्ष के बजट में डाल दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष में वीआरएस के क्रियान्वयन की खातिर भुगतान करने के लिए सरकार ने मुश्किल से 528 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 24 अक्टूबर को केंद्र ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी और उनके विलय के लिए एक समयसीमा निर्धारित की थी। 37,500 करोड़ रुपये की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण समग्र राहत पैकेज का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने, नेटवर्क के उन्नतीकरण और कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या को घटाकर आधी करने के लिए वीआरएस की पेशकश का भुगतान करने में किया जाएगा।

राहत पैकेज में 15,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन बॉन्ड इशू शामिल है जिसका इस्तेमाल ये दोनों दूरसंचार कंपनियां करेंगी। इसके अलावा बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक प्रशासित कीमत पर 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा जो 2016 की नीलामी मूल्य के करीब अनुमानित है। इन दोनों कंपनियों को 20,140 करोड़ रुपये मूल्य के 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा।

बीमा और म्युचुअल फंड

नए कर से बीमा कंपनियों और फंडों की अनिश्चितता बढ़ी

जश कृपलानी और हंसिनी कार्तिक

करदाताओं के लिए कम दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था से बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंडों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है। बीमा कंपनियां और म्युचुअल फंड (एमएफ) कर बचत योजनाओं में बड़ा निवेश प्रवाह आकर्षित करते हैं।

> निवेशक यदि नई कर व्यवस्था पर अमल करते हैं तो उन्हें कई तरह के कर लाभ को छोड़ना होगा

एक प्रमुख घरेलू बीमा कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'बीमा उद्योग में कम से कम 30-40 प्रतिशत निवेश प्रवाह कर बचत के उद्देश्य से जुड़ा होता है। इसलिए हमें इसे लेकर पुन: तैयारी करने की जरूरत होगी कि व्यवसाय को फिर से कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि यदि संभावित निवेशक नई कर व्यवस्था का चयन करते हैं तो इससे उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ सकता है।'

शनिवार को, बीमा शेयरों में भारी बिकवाली दबाव देखा गया था। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था। शनिवार को गिरने वाले अन्य शेयरों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (10 प्रतिशत) और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (6 प्रतिशत) मुख्य रूप से शामिल रहे।

अधिकारी ने कहा, 'वृद्धि को अगले वित्त वर्ष में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इससे अल्पावधि में हमारा बिजनेस मॉडल की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बीमा कंपनियों अब नई कर व्यवस्था को अनिवार्यता दिए जाने की आशंका को लेकर लगातार चिंता का सामना करना पड़ेगा।'

नई कर व्यवस्था से बीमा कंपनियों पर म्युचुअल फंडों की तुलना में ज्यादा दबाव पड़ सकता है

हालांकि प्रस्तावित नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक है, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार आखिरकार कम कर दर वाले आसान ढांचे के साथ सभी तरह की कर छूट समाप्त करना चाहती है।

क्वांटम म्युचुअल फंड के मुख्य कार्याधिकारी जिमी पटेल ने कहा, 'यदि ज्यादा संख्या में करदाता नई कर व्यवस्था को पसंद करते हैं तो 80सी श्रेणी और सहायक उद्योगों को नुकसान होगा। म्युचुअल फंड उद्योग द्वारा मुहैया कराए जाने वाले ईएलएसएस उत्पादों (जो 80सी के तहत शामिल हैं) के अलावा, बीमा योजनाओं को भी दबाव का सामना करना पड़ेगा।'

मौजूदा समय में, ईएलएसएस श्रेणी द्वारा प्रबंधित परिसंपत्तियां लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की हैं।

जहां ईएलएसएस श्रेणी में आ रहा प्रवाह उत्साहजनक नहीं है, वहीं यह स्वाभाविक तौर पर अनिश्चित भी है क्योंकि यह तीन साल की लॉक-इन अवधि से जुड़ा हुआ है। एक फंड प्रबंधक ने कहा, 'इन निवेश प्रवाह से म्युचुअल फंड उद्योग को वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में मदद मिलेगी, जब निवेशक कर बचत के विकल्पों पर विचार करते हैं।'

विश्लेषकों का कहना है कि म्युचुअल फंडों के अलावा, बीमा कंपनियों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

लघु बचत

छोटी बचत पर निर्भरता से मुश्किल

सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर निर्भरता से रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती का फायदा मिलने में कठिनाई

अनूप रॉय

छोटी बचत पर सरकार की निर्भरता बढ़ने से दरों में कटौती का फायदा मिलना कठिन हो जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को कितना लताड़ लगाए। केंद्रीय बैंक अपनी रीपो दर में फरवरी के बाद अब तक 135 आधार अंकों की कटौती कर चुका है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों ने उधारी दरों में महज 50 आधार अंकों से भी कम की कटौती की है। जबकि पूंजी बाजार ने घटी हुई दरों का पूरा लाभ आगे बढ़ा दिया था। हालांकि लंबे समय से बैंकों की शिकायत रही है कि यदि जमा दरों में भी कटौती नहीं की जा सकती है तो वे अपनी उधारी दरों में कटौती नहीं कर सकते। जमा दरों में अधिक कटौती नहीं की जा सकती है क्योंकि उसे छोटी जमा पर खुद सरकार द्वारा पेशकश की गई दरों से नीचे नहीं लाया जा सकता है।

छोटी बचत पर निर्भरता का मतलब केंद्र के लिए लागत अधिक है क्योंकि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के मुकाबले अधिक होती हैं। नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र पर दी जाने वाली ब्याज दरें 60 महीनों की परिपक्वता अवधि के लिए 5 फीसदी से लेकर 113 महीनों की परिपक्वता अवधि के लिए 7.9 फीसदी है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर 8.4 फीसदी है। इसके मुकाबले 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी बॉन्ड प्रतिफल 31 जनवरी को 6.60 फीसदी पर बंद हुआ।

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये की छोटी बचत योजनाओं से अपने घाटे की आंशिक भरपाई करने की योजना बनाई है। इन दोनों वर्षों के लिए करीब 30 फीसदी घाटे की भरपाई इससे की जा सकती है। छोटी बचत से प्राप्त रकम का इस्तेमाल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की उधारी चुकाने में भी किया जा सकता है। एफसीआई की उधारी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये है। इसका मतलब साफ है कि छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश मामूली है क्योंकि इससे निवेशक ऐसे समय में दूर हो सकते हैं जब सरकार उन्हें रियायतों के बिना कम आयकर दर का विकल्प भी उपलब्ध करा रही है।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट बॉन्ड की सरासर आपूर्ति से बॉन्ड बाजार पर दबाव बरकरार रहेगा। राज्य सरकार के बॉन्ड पर गौर किए बिना भी यह दबाव दिखेगा। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार बाजार से 8.1 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगी जिसमें भुनाना भी शामिल है। सरकार द्वारा पूरी तरह पोषित बॉन्ड के जरिये जुटाए जाने वाला अतिरिक्त बजटीय संसाधन वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 0.8 फीसदी होगा।

इंडसइंड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गौरव कपूर ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली जाने वाली उधारी जीडीपी का 1.9 फीसदी होगी जो उनके खर्च के लिए बजटीय अनुमानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल उधारी जरूरत (राज्य सरकारों को छोड़कर) जीडीपी का करीब 6.2 फीसदी होगी।

ऐसे में वाणिज्यिक बैंकों पर उधारी दरों में कटौती की कोई बाध्यता नहीं होगी क्योंकि रिजर्व बैंक के उपायों के बावजूद बॉन्ड प्रतिफल में नरमी नहीं लाई जा सकती है। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी प्रवाह अब 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। आरबीआई यदि अपने खुले बाजार परिचालन (सीएमओ) कार्यक्रम के जरिये द्वितीयक बाजार से बॉन्ड की खरीदारी करता है तो उससे प्रणाली में नकदी प्रवाह बढ़ेगा जिससे महंगाई दर बढ़ेगी।

सरकार ने छोटी बचत योजनाओं से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल घाटा पाटने में करने की योजना बनाई है

विदेशी निवेश

निवेशकों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल

शुभायन चक्रवर्ती

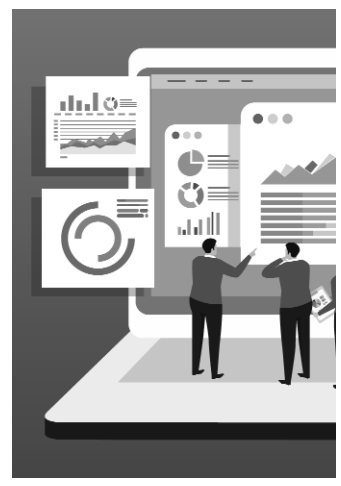

विदेशी निवेशकों के साथ-साथ घरेलू उद्यमियों और निवेशकों को भी लाभ

विदेशी निवेशकों के लिए देश में निवेश के अवसर तलाशने और साथ ही अपेक्षित मंजूरी प्रदान करने के लिए सरकार जल्द ही सिंगल विंडो प्रणाली शुरू करने वाली है। फिलहाल उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विदेशी निवेशकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराने वाली पांच साल पुरानी इस बहुचर्चित योजना को परखा जा रहा है और इसे अपनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभिन्न सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है।

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए मंजूरी देने वाले प्रकोष्ठ की घोषणा की थी जो 'शुरू से अंत तक' सुविधा एवं सहायता प्रदान करेगा। इसमें निवेश से पहले का मार्गदर्शन, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंजूरी की सुविधाएं भी शामिल रहेंगी।

औद्योगिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुरू में यह पोर्टल विदेशी निवेशकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन यह घरेलू उद्यमियों और निवेशकों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह पोर्टल वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के पास मौजूद राष्ट्रव्यापी मानचित्रों पर सभी भूमि बैंकों से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराएगा। इन्हें उन संभावित उद्योगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जिनकी स्थापना व्यावहारिक हो सकती है। विनिर्माण खंडों, परिवहन व्यय और पास में मौजूद लॉजिस्टिक सुविधाओं की सूची भी मानचित्रों पर होगी।

वर्ष 2016 के बाद से केंद्र सभी राज्यों को उनके पास उपलब्ध निपटान योग्य भूमि का मानचित्रण करने और भूमि बैंकों से जुड़े उन खंडों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता रहा है जिनसे विदेशी निवेशों को आकर्षित किया जा सकता हो। लेकिन पंचायती क्षेत्रों में सामान्य भूमि से संबंधित नियमों में संशोधन करने के लिए संघर्ष करने वाली राज्य विधानसभाओं के कारण राज्यों में इस संबंध में किए गए काम का स्तर काफी अलग-अलग रहा है।

ऑनलाइन डेटा अनुसंधान परियोजना लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच डॉट ओआरजी के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भारी आबादी वाले राज्यों को औद्योगिक भूमि क्षेत्र बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जबकि भूमि से संबंधित विवाद में तेजी आई है। इसका कहना है कि खेती वाली जमीन को लेकर बढ़ती लड़ाई से 70 लाख लोग प्रभावित हैं।

अक्टूबर, 2019 में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मैलपास ने कहा था कि भूमि डेटा का डिजिटलीकरण और पूरे भारत का डेटा जल्दी से उपलब्ध कराना भारत के लिए एक प्रमुख कार्य है। विदेशी निवेशकों की लगातार यह शिकायत रहती है कि खासकर विनिर्माण क्षेत्र में नई व्यापार विस्तार योजना बनाते समय जमीन खरीदना और बेचना उनकी प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

जमा का बीमा

बैंकों पर बढ़ जाएगा जमा पर बीमा प्रीमियम का बोझ

सोमेश झा

बैंकों में अपनी बचत को जमा करने वाले ग्राहकों को नए वित्त वर्ष से बैंक जमा पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलने वाला है लेकिन इसके लिए बैंक को प्रति 100 रुपये जमा पर प्रीमियम बोझ बढ़कर 12-13 पैसे तक होने की संभावना है।

वित्त सचिव राजीव कुमार ने आम बजट में बैंक जमा पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार जोखिम-आधारित प्रीमियम व्यवस्था अपनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने रविवार को मीडिया के साथ बातचीत में कहा, 'मानकों के मुताबिक, बैंक बीमा प्रीमियम में होने वाली वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकते हैं। किसी भी सूरत में प्रीमियम में खास बढ़ोतरी नहीं होगी और यह प्रति 100 रुपये जमा पर सालाना 12-13 पैसे रह सकता है।'

जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम के मुताबिक किसी भी बीमित बैंक द्वारा हरेक 100 रुपये के लिए देय वार्षिक प्रीमियम 15 पैसे से अधिक नहीं हो सकता है। इस कानून के तहत फिलहाल हरेक जमाकर्ता का एक लाख रुपये तक जमा बीमित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई डीआईसीजीसी ही इसका बीमा करती है और जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित होने की गारंटी देती है।

वित्त सचिव ने प्रस्तावित बीमा कवर के सवाल पर कहा, 'यह बैंकों पर डिफरेंशियल प्रीमियम का बोझ डालने का सही मौका नहीं है। जोखिम-आधारित प्रीमियम होने पर कमजोर बैंकों का खुलासा हो जाएगा और उससे उस बैंक के पास जमा राशि के सुरक्षित न रहने को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो सकता है। हम जमाकर्ताओं को किसी भी हाल में इस समय जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। सभी बैंकों के लिए इस बीमा प्रीमियम की राशि एकसमान होगी।'

आरबीआई ने पिछले साल डीआईसीजीसी से जोखिम के आधार पर बीमा प्रीमियम लिए जाने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया था। इसका मतलब है कि अगर किसी बैंक में जोखिम अधिक है तो उस पर जमा का प्रीमियम भी अधिक लगेगा। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने का अभी कोई इरादा नहीं है।

बजट 2020 की रूपरेखा

1 ▸ क्या है केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट सरकार के लेखाजोखा का बयान है लेकिन यह राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार के संसाधनों को लगाने के लिए खर्च की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। लेकिन संसद की मंजूरी के बाद ही धन को खर्च किया जा सकता है।

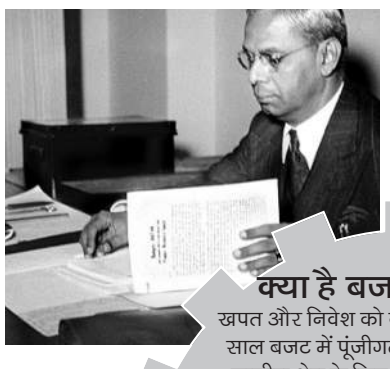

2 ▸ बजट हमें किस प्रकार प्रभावित करता है

सड़क, मेट्रो लाइन, कृषि आदि पर केंद्र सरकार के खर्च से हमारा जीवन कहीं अधिक आरामदायक बनता है। ग्रामीण योजनाओं पर ध्यान गांवों को बेहतर बनाता है, मांग को बढ़ावा मिलता है, नई कंपनियों के गठन के लिए प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। बजट 2020-21 ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब आर्थिक स्थिति में सुधार काफी चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं।

3 क्या है बजट का आकार

खपत और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस साल बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन को बरकरार रखा गया है और कुल व्यय जीडीपी का 15 फीसदी यानी 30 लाख करोड़ रुपये रखा गया है

राजस्व सीमाओं के कारण बजट आकार में मामूली वृद्धि

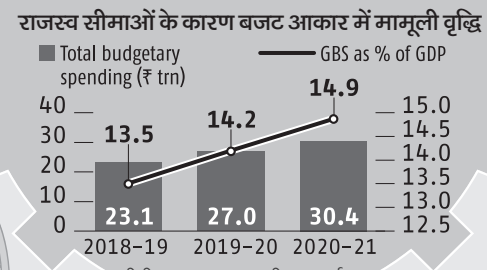

जीबीएसः सकल बजटीय समर्थन

4 ▸ लेकिन 30 लाख करोड़ कितना बड़ा है

1.3 अरब लोगों के लिए यह बजट प्रति व्यक्ति 23,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च बैठता है जो भारतीय लोगों की औसत सालाना आय का करीब 17 फीसदी है

32 लाख करोड़ रुपये

पांच शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण है

28 लाख करोड़ रुपये

भारतीय परिवार खान-पान पर खर्च करते हैं

5 ▸ इस साल के लिए क्या योजना है

आयकर दरों में कटौती की गई है लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए करदाताओं को अधिकांश रियायतें छोड़ने होंगे। इससे केवल उन लोगों को फायदा होगा जो अपने करियर के शुरुआत दौर में हैं जैसे मिलेनियल्स। सरकार का अनुमान है कि इससे उसे 40,000 करोड़ रुपये यानी जीडीपी का करीब 0.2 फीसदी की चपत लगेगी।

आयकर दरों में कटौती के फायदे अनिश्चित

	स्थिति 1	स्थिति 2
केवल 80 सी	80सी + एचआरए	
वेतन आय	15,00,000	15,00,000
कटौती*	2,00,000	4,50,000
कर योग्य आय	13,00,000	10,50,000
कर की रकम—पुरानी व्यवस्था	2,10,600	1,32,600
कर की रकम—नई व्यवस्था	1,95,000	1,95,000
■ फायदा ■ नुकसान	15,600	-62,400

*मानक कटौती जो धारा 4 ए के तहत दिए गए हैं। स्थिति 2 में एचआरए शामिल

"हम नई प्रौद्योगिकी के दम पर एक जीवंत और दमदार अर्थव्यवस्था के लिए अवसरों के नए द्वार खोलना चाहते हैं। यह ऐसा भारत होगा जो अपने समाज की चिंता करेगा।"
निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

6 ▸ क्या संतुलन की यह कोशिश सहज है?

नहीं, सरकार अपने दम पर केवल 12.2 लाख करोड़ रुपये ही जुटा सकती है और इस प्रकार उसे 8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने होंगे। यह रकम उसके बढ़े खर्च की करीब एक चौथाई होगी। यह उसी तरह है जैसे लोग अपना परिवार चलाने के लिए उधार लेते हैं।

खर्च और आमदनी में अंतर

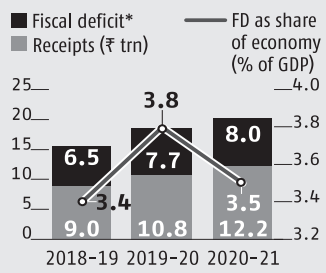

* उधारी और नकदी भंडार में कमी

7 ▸ तो फिर बजट का सार क्या है?

ऐसी स्थिति में जब सरकार को मांग बढ़ाने के लिए अधिक खर्च करने की जरूरत है लेकिन उसकी आय कम है, उसने आगामी वर्षों में सड़क, किसान कल्याण, स्मार्ट शहरों पर खर्च बढ़ाने और ऋण पर अधिक ब्याज का भुगतान करने का फैसला किया है। लेकिन बजटीय लेखाजोखा के इतर उधारी की हिस्सेदारी कहीं अधिक होने का अनुमान है।

राजकोषीय विस्तार से खुली 1.3 लाख करोड़ रुपये के खर्च की खिड़की

लाख करोड़ रुपये में

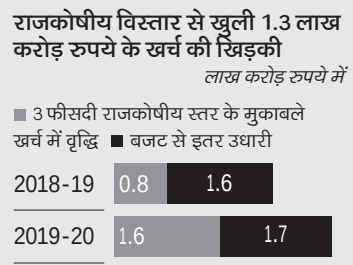

8 ▸ राजस्व के अहम स्रोत क्या हैं?

इसके प्रबंधन के लिए सरकार सार्वजनिक कंपनियों की बिक्री से मिलने वाली राशि, सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाले लाभांश, दूरसंचार कंपनियों का बकाया और जीएसटी तथा कुछ हद तक आयकर से राजस्व जुटाने की उम्मीद कर रही है।

इन्हीं पर टिकी है इमारत

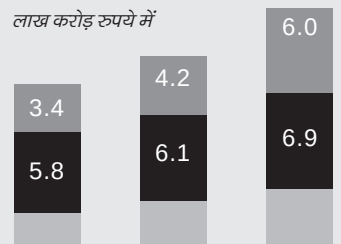

9 ▸ खर्च में प्राथमिकताएं क्या हैं?

सरकार ने बुनियादी ढांचे पर स्पष्ट तौ पर ध्यान दिया है लेकिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के समय में ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस की शुरुआत हुई थी लेकिन इसके लिए अब सीमित आवंटन किया गया है। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा नहीं हुई है लेकिन इस साल बीमा कंपनियों के लिए व्यवस्था की गई है। शहरी परियोजनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। इन प्रमुख क्षेत्रों में खर्च बढ़ाए गए हैं।

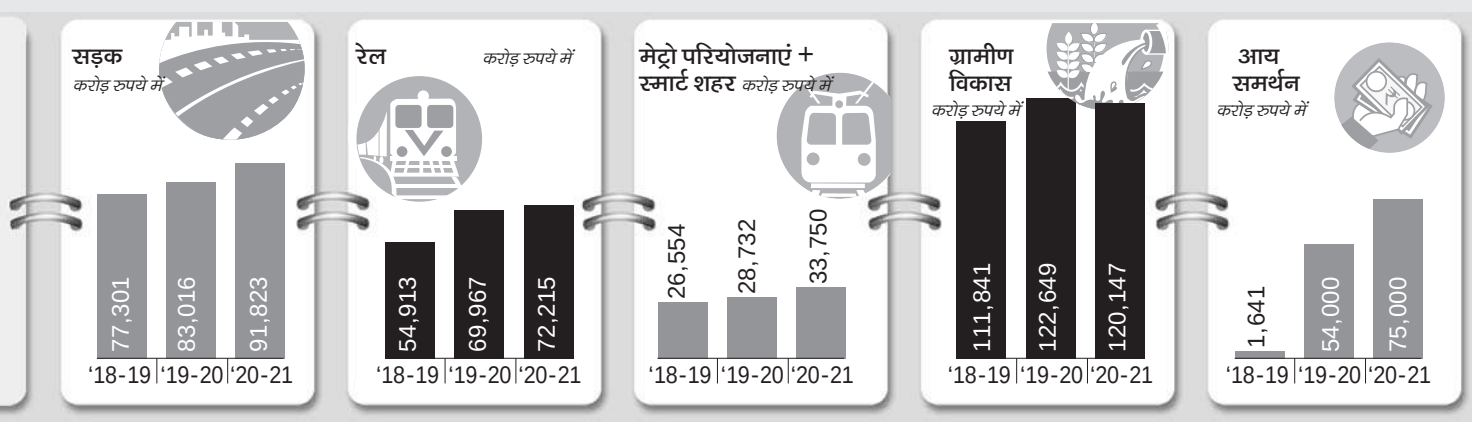

10 ▸ सरकारी खर्च की राह में क्या अड़चन है

कर्मचारियों के वेतन मद में, रक्षा कर्मियों पर, सब्सिडी मद में और ऋण के लिए ब्याज भुगतान में खर्च करने के लिए बड़ी मात्रा में रकम की जरूरत होती है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के खर्च में सरकार के संसाधनों का एक उल्लेखनीय हिस्सा खत्म हो जाता है।

खर्च की भारी-भरकम रूपरेखा

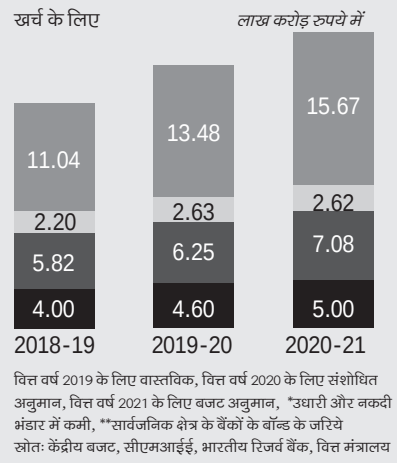

वित्त वर्ष 2019 के लिए वास्तविक, वित्त वर्ष 2020 के लिए संशोधित अनुमान, वित्त वर्ष 2021 के लिए बजट अनुमान, *उधारी और नकदी भंडार में कमी, **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बॉन्ड के जरिये
स्रोतः केंद्रीय बजट, सीएमआईई, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 299

मंजिल की ओर

वर्ष 2020-21 के आम बजट के जिन प्रस्तावों ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरीं उनमें से एक 15 लाख रुपये या उससे कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर में बदलाव भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार के बजट भाषण में इन बदलावों का उल्लेख किया। 5 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की आय के बीच कर दरों में अनिवार्य तौर पर कटौती की घोषणा की गई, बशर्ते किसी तरह की रियायत का लाभ न लिया जाए।

सीतारमण ने कहा कि व्यक्तिगत आय कर में दी जाने वाली रियायतों और छूट की तादाद बढ़कर 100 से अधिक हो गई थी। उन्होंने कहा कि इनमें से 70 रियायतों को वापस लिया जाएगा लेकिन जो करदाता सहजता चाहते थे उनके लिए बिना रियायत के कम दरों पर कर चुकाने की व्यवस्था होगी।

5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय के लिए कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 फीसदी की जा रही है, 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत के बजाय 15 फीसदी कर लगेगा। इससे उन लोगों को एक नया विकल्प मिलेगा जो रियायतों का लाभ नहीं लेना चाहते। कर भुगतान को सरल करने की दृष्टि से देखें तो खासतौर पर युवाओं की दृष्टि से तो नई व्यवस्था काफी आकर्षक है। वित्त मंत्री को इस दिशा में आगे बढ़ने का श्रेय दिया जाना चाहिए। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार द्वारा पेश कम कॉर्पोरेट कर दरों के साथ अवधारणात्मक समानता है।

अब यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि इस अग्रगामी सोच के बाद अगला कदम क्या होगा? स्पष्ट है कि सरकार का इरादा रियायत रहित या कम रियायत वाला प्रत्यक्ष कर माहौल बनाने का है।

इससे अनुपालन और कर दायरे का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह सकारात्मक संकेत है। बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी और अनुमान लगाने लायक होनी चाहिए। क्योंकि इसका असर लोगों की बचत और बीमा आदि क्षेत्रों में उनके निवेश आदि पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए ऐसी कोई वजह नहीं है कि नीति निर्माता बीमा को इसके मूल उद्देश्य कम लागत में जोखिम से बचाव दिलाने के उपाय के बजाय कर बचत का तरीका मानें। लोगों के पास यह निर्णय लेने का समय होना चाहिए कि वे अपने भविष्य की बचत को लेकर निर्णय कर सकें। इस संदर्भ में भविष्य निधि के माध्यम से कर बचत की सीमा आदि को लेकर समय रहते घोषणा कर दी जानी चाहिए।

व्यक्तिगत आय कर को भी नए कॉर्पोरेट आय कर दायरे के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार शायद साझेदारियों के बढ़ते कॉर्पोरेटीकरण से खुश है। इन्हें कर विवाचन (आर्बिट्राज) के रूप में प्रोत्साहन मिल रहा है। परंतु किफायत लाने के लिए इस अंतर को कम किया जाना चाहिए। वहीं यदि व्यक्तिगत कर दाताओं को दो अलग-अलग कराधान योजनाओं में चयन करना पड़ा तो उसके लिए जटिलता कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सही कहा कि करदाताओं के लिए बिना पेशेवरों की मदद लिए कर कानूनों का अनुपालन करना लगभग असंभव है।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से चीजें आसान होंगी। परंतु सच तो यह है कि करदाताओं को अभी भी पेशेवरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है ताकि वे पता लगा सकें कि क्या कम कर दर का चयन उनके लिए लाभदायक होगा? चूंकि प्रत्यक्ष कर को लेकर वित्त मंत्री की दृष्टि एकदम साफ नजर आती है इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस दिशा में अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें।

अजय मोहंती

बेतुकी उम्मीद का बोझ और साधारण बजट

मोदी बजट को एक अचर्चित और सामान्य कवायद बनाकर रखना चाहते हैं। काफी हद तक बही-खातों की वार्षिक प्रस्तुति के रूप में। बड़ी घोषणाएं वह वर्ष के दौरान कभी भी कर सकते हैं।

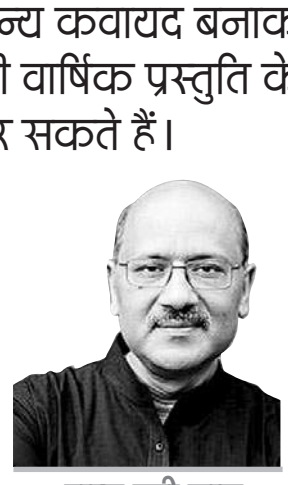

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

सन 2014 में बहुमत से सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआती काम किए थे उनमें एक था रेलवे बजट की व्यवस्था समाप्त करना। कुछ समय तक कुछ लोगों ने शिकायत की। खासतौर पर बिहार, पश्चिम बंगाल के राजनेताओं और पूर्व रेल मंत्रियों, पुराने समाजवादियों ने।

अब कोई रेल बजट को याद नहीं करता। समय बीतने के साथ भारतीयों की एक पीढ़ी ऐसी भी आएगी जिसे रेल बजट जैसी कोई बात याद नहीं होगी। अब नई ट्रेनों की घोषणाओं, कीमतों में चतुराईपूर्ण इजाफे या कटौती, विद्युतीकरण के दावों के लिए कोई एक दिन सुनिश्चित नहीं है। रेलवे का प्रबंधन अब नियमित क्रम में होता है। मीडिया के लिए अब कोई बड़ी खबर नहीं रहती।

सालाना आम बजट के लिए भी मोदी का यही सिद्धांत है। शनिवार को बजट पेश होते ही बाजार गिर गए क्योंकि मोदी सरकार के सातवें बजट में भी बड़े सुधारों की कोई घोषणा नहीं थी। यह निराशा उचित थी लेकिन ऐसी अपेक्षा उतनी ही अनुचित थी। मोदी सरकार के छह बजट में से किसी में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि सरकार बड़े सुधार अपना सकती है।

मोदी बजट को सामान्य बनाए रखना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा बही खातों पर एक सालाना वक्तव्य की तरह जिसमें कुछ बातें, कुछ श्लोक और कुछ कविताओं का मिश्रण किया जाता है। यदि कोई बड़ी घोषणा हुई भी तो वह ऐसी जो कम से कम बाजार को पसंद नहीं आई होगी। यानी अमीरों को नुकसान पहुंचाना और गरीबों को संतुष्ट करना।

इसके अलावा बजट कतई घटनाप्रधान नहीं रहता और एक दिन की सुर्खियों के बाद कोई उसके बारे में बात नहीं करता। जहां तक बड़े झटकों की बात है तो वे साल भर आते रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री की इच्छा होती है या उन्हें आवश्यकता महसूस होती है वे बड़ी घोषणा कर देते हैं। यह नोटबंदी या इसके साथ आई माफी योजना जैसी वास्तविक बड़ी घोषणा भी हो सकती है और कदम वापसी की घोषणा अथवा घोषणाएं भी। सन 2019 के त्रासद बजट के बाद जो कुछ हुआ, उससे पूरी बात को समझा जा सकता है। बजट के बाद गरीबों को प्रसन्न करने के लिए अमीरों से लेने की भावना इतनी प्रबल हो गई कि बाजार बिखर गए। करोड़पतियों और उद्योगपतियों के विदेशी पासपोर्ट धारण करने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला। संस्थागत विदेशी निवेशक नाराज हो गए और वित्त मंत्री को आए दिन बजट घोषणाओं को वापस लेना पड़ा।

गत वर्ष कॉर्पोरेट कर दर में की गई कटौती मोदी सरकार का सबसे अहम सुधार रहा और उसे आमतौर पर अमीरों को दी गई राहत के रूप में ही याद किया जाएगा। इसे बिना किसी चर्चा या बहस के घोषित कर दिया। बिल्कुल अन्य प्रशासनिक निर्णयों के तर्ज पर। जैसे एक और नई ट्रेन के संचालन की घोषणा की जा रही हो। इस मामले में यह काफी हद तक अपनी गलती की स्वीकारोक्ति की तरह था। जैसे सन 2019 के गरीबोन्मुखी बजट ने बाजार के रुझान को ध्वस्त कर दिया था। परंतु कल्पना कीजिए यदि ऐसी कर कटौती आम बजट के केंद्र में होती तो विशेषज्ञों से भरे टेलीविजन स्टूडियो और विपक्ष ने किस तरह की प्रक्रिया दी होती।

मुक्त बाजार और इस लेखक समेत निजीकरण के तमाम समर्थक कहते रहे हैं कि दूसरी बार इतना बड़ा जनादेश पाने के बावजूद मोदी सरकार के बजट में कोई बड़ा विनिवेश देखने को नहीं मिला। परंतु क्या वास्तव में उन्हें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिनसे आलोचना और बहस का सामना करना पड़े? क्योंकि वह तो किसी भी शाम जल्दबाजी में बुलाए एक संवाददाता सम्मेलन में भी ऐसी घोषणा कर सकते हैं। बीपीसीएल तथा अन्य मामलों में सरकार ने ऐसा ही किया। वह इस तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने के लिए बजट की आवश्यकता नहीं। बस शुक्रवार (वित्त मंत्री का पसंदीदा दिन) और बुधवार (कैबिनेट बैठक) पर नजर रखिए। मोदी को दिखावा पसंद है या नहीं इसमें किसी को क्या शक? शायद ही कोई उनसे अधिक इसे पसंद करता होगा। परंतु वह हमेशा यह भी चाहते हैं कि मामला उनके नियंत्रण में रहे। बड़ा बजट समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए क्योंकि यदि यह गरीबों को खुश करता है तो प्राय: अमीर नाराज होते हैं। वहीं अगर यह बाजार के अनुकूल हुआ तो गरीब इसे पसंद नहीं करते। राहुल गांधी इसे सूट-बूट की सरकार करार देते हैं। जाहिर है मोदी को यह पसंद नहीं।

राष्ट्रीय बजट को लेकर मोदी की सोच एकदम स्पष्ट है। लगातार छह बजट हमें आश्वस्त नहीं कर पाए और अब तो सातवां भी पेश किया जा चुका है। नरेंद्र मोदी ने बजट के खबर बनने के सिलसिले को पूरी तरह ठप कर दिया है। इसके प्रमाण आपको चारों तरफ बिखरे हुए दिख जाएंगे।

यह बजट दिखाता है कि रक्षा आवंटन लगभग रुका हुआ है, हालांकि पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इसकी आलोचना भी हो रही है। परंतु इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने वित्त आयोग को पत्र लिखकर संसाधनों की कमी की शिकायत की है। वित्त आयोग अधिग्रहण फंड को आगे बढ़ाकर प्रयोग में लाने पर विचार कर रहा है। शायद किसी शाम संवाददाता सम्मेलन में हमें इसकी भी घोषणा सुनने को मिले। तब यह रक्षा बजट में इजाफे की तुलना में बहुत छोटी खबर होगी। चूंकि मामला रक्षा से जुड़ा है इसलिए कोई शिकायत करने का साहस भी नहीं करेगा। राजनीतिक अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी का यही रवैया है।

इस बजट में यदि कोई साहसिक बात है तो वह है निजीकरण में इजाफा करने, भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने की बात। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, कॉनकॉर, जहाजरानी निगम आदि के साथ सरकार निजीकरण की सोच पर पहले ही काफी काम कर चुकी है। यही कारण है कि एलआईसी के निजीकरण का जिक्र आया। परंतु यदि इसका अधिक विरोध हुआ, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी अभियान चलाने वालों की ओर से तो इसे टाला भी जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ज्यादा चकित होने की जरूरत नहीं है। गत वर्ष सॉवरिन ऋण बॉन्ड के मामले में हमें ऐसा ही देखने को मिला था।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा भारतीय सरकार सबसे अधिक राजनीतिक, वैचारिक और सांख्यिकीय सरकार है। इंदिरा गांधी की सरकार से भी अधिक। इस सरकार का हर निर्णय या कदम मतदाताओं पर पड़ने वाले असर को देखकर लिया जाता है। सुधार के मोर्चे पर वह आर्थिक जोखिम नहीं उठाएंगे। बाजार प्रतिभागी, फंड प्रबंधक, मुद्रा से जुड़े लोग, सभी को इसकी आदत हो गई है। यदि आप अपने बाजार संबंधी निर्णयों को मतदाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार आंकेंगे तो अतार्किक अनुमान उत्पन्न होंगे। इसे ताजा बजट से समझा जा सकता है। ऐसे में बड़ी तस्वीर के लिए पूरे वर्ष पर नजर रखने की आवश्यकता है, केवल 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट पर नहीं।

न्यायपालिका को मिला बजट आवंटन जरूरत से है कम

अदालती आईना

एम जे एंटनी

किसी के लिए भी केंद्रीय बजट में खुशनुमा आश्चर्यों की उत्सुकता से राह देखना स्वाभाविक है। लेकिन यह अचरज की बात नहीं है कि दशकों से नजरअंदाज होती रही न्यायपालिका इस सालाना कवायद से उत्साहित होने वाले तबके में शामिल नहीं थी। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इस तिरस्कार पर खेद जताया है, एक तो सार्वजनिक तौर पर अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए थे। उनकी शिकायत है कि न्यायिक क्षेत्र को बजट में आम तौर पर जीडीपी का 0.2 फीसदी ही मिलता है। लेकिन मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और उनके साथी न्यायाधीशों ने पिछले हफ्ते दिल्ली में इस उपेक्षा को लेकर कुछ नहीं बोला। न्यायपालिका के मुखिया की वित्त मंत्री से मुख्य मांग यही थी कि वह ज्यादा कर लगाने से परहेज करें क्योंकि इससे सामाजिक अन्याय पैदा होता है।

जहां अन्य क्षेत्रों की मांगें रखने के लिए लॉबी करने वाले हैं, वहीं न्यायपालिका राज्य की वह शाखा है जिसे खुद ही अपना पेट भरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहां तक कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल ने भी अदालतों के ढांचे के लिए अधिक धन जारी करने की जरूरत के बारे में सोचने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद इस क्षेत्र की मनहूस हालत कारोबार के लिए अच्छी मानी जाती है। अदालतों को उतनी तवज्जो भी नहीं मिलती है जितनी रेलवे को मिलती रही है। कुछ साल पहले तक रेलवे के लिए अलग बजट हुआ करता था। कानून लगातार बनते जा रहे हैं लेकिन इस पर गौर नहीं किया जाता है कि इनसे अदालतों पर बोझ कितना बढ़ जाता है?

मौजूदा केंद्रीय बजट में न्यायपालिका के लिए आवंटन बढ़ाकर 308.61 करोड़ रुपये कर दिया गया जबकि पिछले साल यह 296.55 करोड़ रुपये और उससे पहले के साल में 258.53 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि प्रशासकीय एवं अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए की जाती है और इस आवंटित राशि का इस्तेमाल न्यायाधीशों एवं स्टाफ के लिए वेतन एवं यात्रा व्यय और सुरक्षा एवं उपकरण मुहैया कराने में भी किया जाता है। हालांकि इस अवधि में कई न्यायाधीशों की नियुक्ति और नई अदालतों का निर्माण होने से अदालतों पर व्यय कई गुना बढ़ गया। लेकिन यह जरूरत से अब भी काफी कम है। मसलन, भारत में अभी प्रति दस लाख आबादी पर छह न्यायाधीश हैं वहीं ऑस्ट्रेलिया में यह 41, कनाडा में 75, ब्रिटेन में 50 और अमेरिका में 107 है।

अदालतों एवं न्यायाधिकरणों को पेश होने वाली बड़ी समस्याओं में ढांचागत आधार की कमी है। पिछले साल से इन सुविधाओं के लिए आवंटन कम हुआ है। वर्ष 2019-20 में यह आवंटन 999 करोड़ रुपये था जबकि नए बजट में यह 762 करोड़ रुपये ही रखा गया है। वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 656 करोड़ रुपये था। दूरदराज के इलाकों में ग्राम स्तर पर ही लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए चिह्नित ग्राम न्यायालयों के साथ भी यही सिंड्रेला ट्रीटमेंट किया गया। इसके लिए अनुदान 2018-19 के आठ करोड़ रुपये के स्तर पर ही रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों और भ्रष्ट नेताओं की सुनवाई करने वाली फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों का आवंटन भी मामूली बढ़त के साथ 140 करोड़ से 150 करोड़ रुपये ही रहा है।

कानून मंत्रालय के लिए आवंटित राशि का इस्तेमाल चुनाव कराने, मतदाताओं को पहचान-पत्र मुहैया कराने और चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनें मुहैया कराने में भी होता है। आयोग के अपने खाते में भी अलग राशि आवंटित की जाती है। कानून मंत्रालय का कुल बजट आवंटन 2,200 करोड़ रुपये है जिसे उन महत्त्वाकांक्षी योजनाओं पर खर्च किया जाना है जिनमें समय के साथ खास प्रगति नहीं हुई है। ई-कोर्ट के लिए महज 250 करोड़ रुपये रखे जाने से इसका वजूद में आ पाना अभी सपना ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (11 करोड़), राष्ट्रीय विधि सेवाएं प्राधिकरण (100 करोड़) और नवगठित नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (तीन करोड़) की भी यही हालत है। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में गठित न्यायाधिकरणों की संख्या और उनका प्रभाव भी बढ़ा है, जैसे कि एनसीएलटी। लेकिन इनके लिए आनुपातिक आवंटन नहीं किया गया है। मसलन, कर अधिकरणों को आवंटन गत वर्ष के 143.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 172.90 करोड़ रुपये हो गया।

कई अदालती प्रतिष्ठान केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच तकरार में उलझे हुए हैं और हर कोई इनके राजकोषीय बोझ को दूसरे पर डालता रहता है। इसके लिए बना 60:40 फॉर्मूला भी असहमति का एक बिंदु है। अदालतों के लिए फंड विभिन्न स्रोतों से आता है और यह मुद्दा भी विवाद बढ़ाता है। यहां तक कि अदालती शुल्क, जुर्माने एवं जमाओं के तौर पर न्यायपालिका को मिलने वाली राशि भी सरकारें बजट में ले लेती हैं। राज्यों के बजट में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है और इसका नतीजा चारों तरफ नजर आ रहा है।

यह सुविदित है कि न्यायिक व्यवस्था अदालतों में तीन करोड़ से अधिक और अकेले उच्चतम न्यायालय में ही 60,000 मामले लंबित होने के बोझ तले कराह रही है। अधीनस्थ न्यायालयों में तो अक्सर पानी एवं पंखे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं।

मसलन, देश के 665 जिला अदालतों में से केवल 266 में ही शौचालय चालू हालत में हैं और इनमें से 100 अदालतों में तो एक भी महिला शौचालय नहीं है। विभिन्न न्यायिक रिपोर्टों एवं अदालती फैसलों में भी इस बात को रेखांकित किया जाता रहा है। भीड़-भरी जेलों में दोषी ठहराए जा चुके अपराधियों की तुलना में विचाराधीन कैदियों की भरमार है। समस्याएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं।

कानाफूसी

समांतर दुभाषिया सेवा!

राज्य सभा में इन दिनों दुभाषियों का बहुत दिलचस्प मिश्रण देखने को मिल रहा है। दरअसल राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश की सभी 22 अधिसूचित भाषाओं में समांतर दुभाषिया सेवा अबाध और सहज रूप से जारी रहे। इसके बाद राज्य सभा में दुभाषिया सेवा प्रदान करने वालों की संख्या में काफी इजाफा किया गया। डोगरी, कोंकणी और सिंधी समेत सात भाषाओं के लिए 32 सलाहकार दुभाषियों की सेवाएं लेनी शुरू की गई। परंतु इन पदों के लिए पूर्णकालिक दुभाषियों की नियुक्ति करने के बजाय राज्य सभा सचिवालय ने प्रयोग के तौर पर अंशकालिक दुभाषियों से काम चलाने का निर्णय लिया। इन्हें जरूरत के अनुसार काम पर रखा जाता है। राज्य सभा के महासचिव देश दीपक वर्मा का कहना है कि यह एक किफायती तरीका है क्योंकि ऐसा करके ही कम लागत में भी निरंतर दुभाषियों की सेवाएं हासिल की जा सकती हैं।

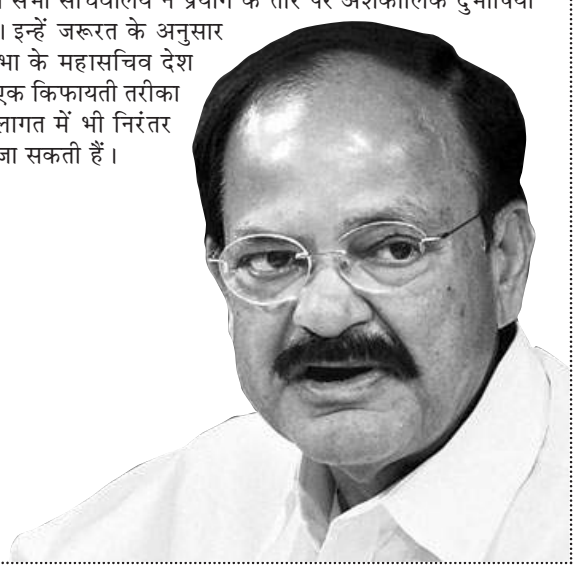

एम वेंकैया नायडू

आपका पक्ष

विदेश नीति से विश्व में भारत का डंका

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद के शपथ समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में होने वाले अपने बदलावों के संकेत दे दिए थे। लेकिन वर्ष 2019 के अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर विश्व को यह संदेश दिया कि विदेश नीति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके बाद वैश्विक मामलों में भारत ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत की विदेश नीति पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा राष्ट्रीय हितों को साधने वाली है। इसका पहला प्रमाण हमें चार महाशक्तियों के बीच के संघर्ष को साधने की भारत की कूटनीतिक सफलता में दिखाई दे रही है। इन चार महाशक्तियों में अमेरिका, रूस, चीन तथा भारत है। अमेरिका, रूस और चीन का

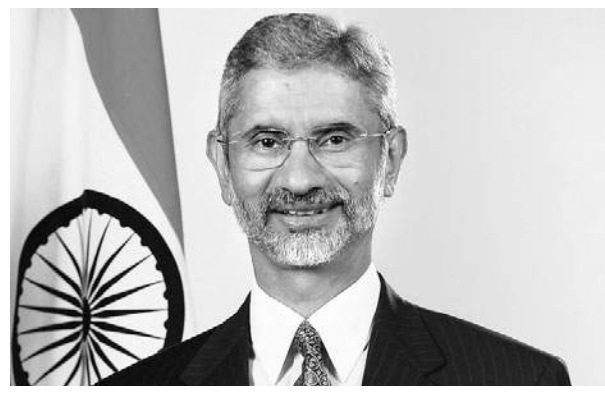

विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए विदेश नीति की ही सबसे अधिक प्राथमिकता है

विरोधी है। रूस और चीन में मित्रता है। भारत और चीन में प्रतिस्पर्धी मित्रता है। रूस का विरोधी होने के बावजूद अमेरिका से भारत के संबंध बेहतर हैं। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच उत्पन्न वर्तमान गंभीर संकट को भारत ने जिस तरीके से साधा है, वह उसके व्यावहारिक विदेश नीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का विरोध किए जाने के बावजूद उससे अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखना सामान्य बात नहीं है, जिसे भारत फिलहाल कर रहा है। इन सारी स्थितियों के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके माध्यम से भारत ने पूरे विश्व को यह बता दिया है कि भारत भविष्य में परस्पर विरोधी देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाकर चलेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विदेश नीति के मामले में भारत विश्व की महाशक्ति के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब रायसीना संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के विदेश मंत्री के प्रति इस बात के लिए अपना आभार व्यक्त किया कि ईरान चाबहार बंदरगाह के संचालन को बाधित नहीं होने देगा और वह इसे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करेगा। वैसे भी इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे निर्णयों के बारे में विश्व के लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन हमारा भी यह अधिकार है कि हम उनकी राय के बारे में अपनी राय रखें।

सूर्यभानु बांधे, रायपुर

सीएए कानून लागू करे हर राज्य

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे सीएए कानून देश में लागू हो गया है। इस कानून का पालन करना सभी राज्यों का दायित्व बनता है। अगर कोई राज्य इस कानून को लागू नहीं करने की बात करता है तो वह संविधान की अवमानना तथा राष्ट्रपति की अवज्ञा होगी। ऐसे में विरोध करने वाले राज्यों की विधानसभा को भंग करने की जरूरत है जिससे देश का अनुशासन बना रहे। विरोध करने वाली राज्य सरकार को राष्ट्रपति की ओर से चेतावनी जारी की जानी चाहिए।

घेवरचंद गोदीका, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

सिंथेटिक धागा सस्ता होने के आसार

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 2 फरवरी

आम बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्यूरिफाइड टेरिफथैलिक एसिड (पीटीए) पर डंपिंगरोधी शुल्क खत्म करने से पॉलिएस्टर या सिंथेटिक धागा सस्ता होने के आसार हैं। इससे ईरान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, ताइवान और थाईलैंड से इस पेट्रोरसायन का आयात सस्ता हो जाएगा।

कपड़े की इस प्रमुख कच्ची सामग्री का आयात सस्ता होगा और उम्मीद की जा रही है कि घरेलू धागा विनिर्माता इसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे। हालांकि इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा क्योंकि अन्य देशों से आयात किया जा रहा है। हाल की तिमाहियों में चीन ने बड़ी क्षमता जोड़ी है और यह शुल्क हटने के बाद वहां से सस्ता आयात होने की आशंका है।

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक हित और कपड़ा क्षेत्र में भारी संभावना का मार्ग खोलने के लिए इसे प्रतिस्पर्धी दामों पर आसानी से उपलब्ध कराने के वास्ते पीटीए पर डंपिंगरोधी शुल्क हटाने को उचित ठहराया है।

घरेलू उद्देश्य के लिए देश में पीटीए की अनुमानित मांग 70 लाख टन थी और इसका लगभग आधा हिस्सा आयात किया गया था। रिलायंस, आईओसी जैसे घरेलू विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सिंथेटिक धागा विनिर्माण के इस प्रमुख कच्चे माल पर डंपिंगरोधी शुल्क लगाया गया था और मटीरियल्स केमिकल्स ऐंड परफॉर्मेंस इंटरमिडीयरीज प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) घरेलू बाजार के लिए तकरीबन 35 लाख टन पीटीए का उत्पादन करती है। बाकी मात्रा का आयात किया जाता है। पीटीए के संबंध में इन कंपनियों को लाभ पर दबाव झेलना पड़ेगा।

इक्रा के समूह प्रमुख

रेटिंग्स) और वरि
ने कहा कि
हटा

से बाजार को बड़ी आवक से ज
रहा है। इसके परिणामस्
भविष्य में पीटीए
बीच का अं
प्रति

बजट से कपड़ा कारोबारी निराश

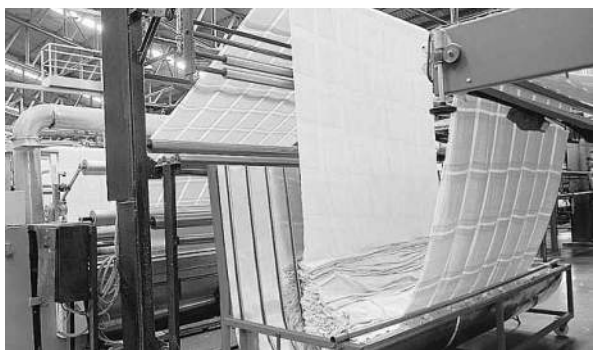

बीएस संवाददाता
मुंबई, 2 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया

घरेलू कपड़ा उद्योग को मजबूत करने और आयात घटाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया है। इसके लिए चार साल में 1,480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट प्रस्ताव को कारोबारी उम्मीद से काफी कम मानते हुए इसे महज झुनझुना करार दे रहे हैं क्योंकि पहले से लागू प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष (टफ) योजना में मंजूर की गई रकम ही नहीं मिल रही है। ऐसे में इस योजना पर कारोबारियों को संदेह है।

आयात घटाने के मकसद से बजट में वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के विकास एवं संवर्द्धन के लिए 27,300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस साल से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा निर्यातकों को शुल्कों और करों के डिजिटल तरीके से रिफंड की अनुमति होगी। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के लिए परियोजना तैयारी सुविधाएं और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जल्द आएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्द ही जारी की जाएगी।' उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा प्रमुख नियामकों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएंगी। इससे एकल खिड़की वाले ई-लॉजिस्टिक्स बाजार का सृजन होगा तथा एमएसएमई प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिये लॉजिस्टिक्स खर्च कम करने की कोशिश कर रही है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के करीब 14 प्रतिशत के बराबर है। इसे घटाकर जीडीपी के नौ प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है।

भारत मर्चेन्ट्स के अध्यक्ष विजय कुमार लोहिया ने कहा कि आम बजट ने कपडा उद्योग और आम आदमी को निराश किया है। कपड़ा मिशन के तहत मात्र 1,480 करोड रुपये दिए गए है जो उम्मीद से काफी कम है। पहले ही टफ में मंजूर की गई रकम नही मिल रही है। बैंकों की डूबती स्थिति को देखते हुए जमा राशि का बीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख करना स्वागत योग्य है। लेकिन आय कर की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन न कर एक नया स्लैब लाया गया है जिसमे किसी भी तरह की छूट का लाभ करदाता को नही मिलेगा।

कपड़ा कारोबारी राजीव सिंघल कहते हैं कि कर स्लैब से बचत हतोत्साहित की गई है। कपड़ा उद्योग बजट से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था पर उसे निराशा ही हाथ लगी। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। कृषि को 2.83 लाख करोड रुपये आंवटित किए गए हैं लेकिन कपडा उद्योग को इसमें अनदेखा किया गया है।

हिन्दुस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष उत्तम वी जैन कहते हैं कि कुल मिलकर बजट को संतुलित कहा जा सकता है, लेकिन कपड़ा उद्योग की बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जब तक जमीनी हकीकत नहीं दिखेगी, तब तक योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला है।

सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां करेंगी 98,521 करोड़ का निवेश

भाषा
नई दिल्ली, 2 फरवरी

ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां तेल एवं गैस खोज, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन और पाइपलाइन बिछाने पर यह निवेश करेंगी ताकि दुनिया ऊर्जा खपत के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ते देश की जरूरत को पूरा किया जा सके। बजट दस्तावेजों के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब चार प्रतिशत अधिक निवेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष में उनका निवेश 94,974 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। आयल ऐंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) का अगले वित्त वर्ष में निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 32,501 करोड़ रुपये रहेगा। ओएनजीसी की विदेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल देश के बाहर तेल एवं गैस परिचालन पर 7,235 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है।

देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन आयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) का निवेश 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 26,233 करोड़ रुपये रहेगा। निजीकरण की ओर अग्रसर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अगले वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया है। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है।

गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का निवेश 5,412 करोड़ रुपये रहेगा। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। ओएनजीसी की अनुषंगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) अगले वित्त वर्ष में 3,877 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। चालू वित्त वर्ष में उसका निवेश 3,675 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।

कोरोनावायरस से सावधानी ही बचाव है

दीपक शर्मा

रोकथाम उपाय अपनाएं

चीन के वुहान से शुरू कोरोनावायरस धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों में फैल रहा है। भारत में चीन से लौटे सभी लोगों की जांच की जा रही है। राज्य सरकारें वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोनावायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जैसे कुछ भी खाने से पहले हाथ को साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को टिशु पेपर या रूमाल से ढककर रखें, अंडे और मांस के सेवन के साथ ही जंगली जानवरों के संपर्क आने से बचें। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वायरस का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। लिहाजा इसका रोकथाम ही प्राथमिक उपचार है। अधिकतर देखा गया है कि मांसाहार रसायन युक्त फास्ट फूड के सेवन से विशेष समय में खतरनाक वायरस का खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए डब्ल्यूएचओ को मिशन के आधार पर मांसाहार, जंक फूड व ड्रिंक्स के खतरे से विश्व को सचेत करना चाहिए।

दुर्गेश शर्मा
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

सतर्कता सबसे बड़ा बचाव

चमगादड़ और सांप से फैलने वाले कोरोनावायरस का जन्म चीन में हुआ है। चीन से यह वायरस अन्य जगहों में फैल रहा है। तेजी से बुखार आना, खांसी, सर्दी, जुकाम और सिरदर्द इसके प्रारंभिक लक्षण हैं और इसका अभी तक इलाज उपलब्ध नहीं है। यह इतना खतरनाक है कि संक्रमण के सात दिनों के अंदर मौत हो जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार यात्रा करते वक्त मास्क जरूर पहनना चाहिए और किसी भी सर्दी-जुकाम पीड़ित व्यक्ति का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद हाथों को गरम पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। शीतल पेय व पदार्थ खाने से बचने के साथ ही डिब्बाबंद भोजन, सीलबंद दूध व 48 घंटे पहले बनी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

रोग रोकने के लिए बढ़े निवेश

कोरोनावायरस की उत्पत्ति चीन के बुहान शहर के पशु बाजार से हुई है और यह संक्रामक वातावरण की देन है। इसलिए यह आवश्यक है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाकर इन संक्रामक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विदेशों से विशेषकर चीन से आने वाले यात्रियों की गहन जांच की जानी चाहिए बल्कि जब तक चीन में स्थिति सामान्य न हो जाए आवागमन बाधित होना चाहिए। देश की सभी प्रमुख प्रयोगशालाओं में इस वायरस की जांच और परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। देश के दूर दराज क्षेत्रों तक इस बीमारी के लक्षणों, रोकथाम के उपायों के विषय में जागरूकता बढ़ाई जानी आवश्यक है। व्यक्तिगत बचाव के उपायों में अपने हाथों को साबुन से धोना, खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह पर रूमाल रखना, अंडे और मांस का उपयोग न करना तथा जिन व्यक्तियों में फ्लू के लक्षण हों, उनसे दूरी बना कर रखना आदि हैं।

रविंद्र प्रकाश
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

सावधानी ही बचाव है

कोरोनावायरस के फैलने पर अनेक विकल्प सावधानी के तौर पर अपनाए गए हैं। इस वायरस से जूझ रहे सभी प्रभावी देशों की सरकारें हरकत में आ चुकी हैं। अमेरिकन कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स ने भी चीन में अपनी 2,000 शाखाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। सभी देशों की विभिन्न कंपनियां सतर्क हो गई हैं और सरकारी निर्देशों की पालना में चीन से लौट आने व वहां की यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। इस वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाकर रहना भी एक प्रभावी उपाय है। साथ ही बचाव के लिए प्रभावित देशों की यात्रा करने वालों को निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। चीन में रह रहे भारतीयों को भी वहां से निकालने के लिए चीन सहयोग कर रहा है। संक्रमित स्थल से सुरक्षित अपने देशों को लौटना व बचाव के लिए टीके इत्यादि उपाय जो भी प्रभावी कदम हों, सभी अपनाने चाहिए। समय रहते सावधानीपूर्ण उपायों को अपनाना ही इस वायरस से प्रभावी बचाव है।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

चीन जाने से बचें

कोरोनावायरस के तेजी से फैलने की संभावना पूरे विश्व में दिख रही है। यह सामान्य लक्षण जैसे बुखार, जुकाम, खांसी, गले में दर्द से शुरू होता है और निमोनिया, किडनी के कार्य नहीं करने आदि में तब्दील हो जाता है। वुहान के मीट मार्केट में बिकने वाले समुद्री फूड से इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि कोरोना के वायरस अब जंतुओं से मनुष्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं। बचाव के लिए अभी कोई वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है। अत: हम स्वयं से कुछ सतर्कता बरत कर इसके वायरस से कुछ हद तक दूरी बना सकते हैं। फिलहाल जितना हो सके देश के बाहर यात्रा करने से बचें, चीन तो जाएं ही नहीं। अपने हाथ नियमित अंतराल पर धोते रहें जिससे किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का शरीर में प्रवेश पर रोक लग सके।

डॉ रसिकेश नवजात
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

सावधानी बरतने की जरूरत

कोरोनावायरस से बचने के लिए इलाज से अधिक सावधानी जरूरी है, क्योंकि फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई दवाई नहीं खोजी जा सकी है। इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हाथ मिलाने से बचें। वायरस के संक्रमण का पता बुखार, थकान के साथ सिरदर्द, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, खांसी या फिर बहती हुई नाक से चल सकता है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत समीप के अस्पताल में दिखाएं। बुखार के बाद सूखी खांसी एक सप्ताह तक चले तो अधिक सावधानी की जरूरत है। सर्दी-खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखी जाए। डॉक्टर बताते हैं कि हम अपने हाथ साफ रखकर, मास्क पहनकर, खानपान में सुधार लाकर और पालतू एवं जंगली पशुओं से दूर रहकर संक्रमण से बच सकते हैं। छींक आने पर नाक पर कपड़ा रखना जरूरी है। अगर कोई परिचित विदेश विशेषकर चीन से आ रहा है तो उनकी जांच सबसे पहले कराई जाए। कोरोना ही नहीं किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है।

आशीष श्रीवास्तव
भोपाल, मध्य प्रदेश

रोगी के सामान का नहीं करें इस्तेमाल

कोरोनावायरस से ग्रसित होने का लक्षण सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार आना आदि है। यह बुखार निमोनिया बन सकती है और निमोनिया किडनी से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों को बढ़ा सकती है। चीन के वुहान प्रांत से इस जानलेवा और बेहद खतरनाक कोरोनावायरस की शुरुआत हुई थी। चीन के तो 13 शहरो में सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है। भारत में भी सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा गई है और अलग-अलग देशों से आने जाने वाले विमान यात्रियों की सख्ती से जांच भी की जा रही है। वैसे इस बीमारी से लड़ने के लिए अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। इससे बचने के लिए सी-फूड के सेवन से बचने के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के बाद हाथ साफ किए बिना चेहरे पर न लगाएं। बीमार लोगों की देखभाल के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और रोगी के बर्तन व कपड़े का उपयोग करने से बचें।

तृप्ति राय
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

रोगी के संपर्क से बचें

कोरोना वायरस के इलाज की अभी तक कोई खास दवा नहीं बनी है। ऐसे में इस वायरस से हम केवल बचाव ही कर सकते हैं जैसे अपने हाथों और इस्तेमाल करने वाली चीजों को स्वच्छ रख सकते हैं। बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगर खांसी, जुकाम और सर्दी जैसी लक्षण दिखें तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और अगर जांच में संक्रामक रोग की पुष्टि हो जाती है तो रोगी को जितना संभव हो सके दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। मांस का उपयोग कम करना चाहिए। संभव हो तो सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करते समय या काम करते समय एन-95 मास्क का उपयोग करना चाहिए।

कुमारी शिवांगी
ई-मेल स

संक्रमित देशों न जाएं

कोरोना वायरस का अभी भारत में असर प्रारंभिक स्तर पर है। अगर इसकी रोकथाम पर विचार नहीं किया गया तो यह निश्चित ही भारत को भी अपनी चपेट में ले लेगा। ऐसी जानलेवा और लाइलाज बीमारियों का बहुत बड़ा कारण विश्व में मांसाहारियों की संख्या में इजाफा होना भी है। इसलिए फिलहाल मांस आदि का सेवन न करना श्रेयष्कर होगा। चीन के नागरिकों पर फिलहाल भारत आने पर रोक ज्यादा हितकारी होगा। कोरोना से हमें सावधानी, सतर्कता और जागरूकता ही बचा सकती है।

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

इलाज के लिए संसाधन की जरूरत

मरीजों में कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई पड़ने और तबियत खराब होने पर घरेलू नुस्खों को आजमाने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोनावायरस से लड़ने के लिए अभी तक तो कोई प्रतिरोधक औषधि नहीं है। इसलिए रोकथाम के लिए जरूरी है कि मेडिकल शोधकर्ताओं को उपयुक्त तकनीकें और इलाज के संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि वे किसी ऐसे वैक्सीन की खोज कर सकें जिससे पीड़ित लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचाया जा सके। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर ये वायरस हावी हो सकते हैं। इसलिए सुपाच्य खाद्य सामग्री का प्रयोग कर मांसाहार से दूरी फिलहाल सर्वोत्तम सतर्कता हो सकती है। इस समय सी फूड आदि से परहेज करें। वायरस हवा के कणों में भी घुले हो सकते हैं और हमारी श्वास नली में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें।

दिव्या प्रीत सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

बरतनी होगी सतर्कता

कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी से बचने के लिए क्षेत्र विशेष के प्रशासन और व्यक्ति विशेष को उच्चस्तरीय सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोनावायरस सहित सहित ज्यादातर रोग कारक ऊंट, बिल्ली, कुत्ते जैसे पालतू जानवरों और आमतौर पर रिहायशी इलाकों के आस पास रहने वाले चमगादड़ों के माध्यम से फैलते हैं। समुद्री भोजन भी इसका स्रोत है। ऐसे में पालतू पशुओं से उचित दूरी बनाते हुए उनके संदिग्ध स्वास्थ्य स्थिति की त्वरित जांच की जरूरत है। संक्रमित भोजन से बचते हुए खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से पकाये बिना खाने से बचना होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पर्यटकों व आम यात्रियों के संबंधित स्थान छोड़ने से पूर्व समुचित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करनी होगी।

ऋषभ देव पांडेय
जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

इसका जल्द इलाज खोजना होगा

कोरोनावायरस से बचाव के तरीके को जानना जरूरी है। चीन ने इस बीमारी को लगभग एक महीने तक किसी भी दूसरे मुल्क को पता नहीं लगने दिया फिर जब यह ज्यादा संक्रामक और विकराल हो गई तब बताया। आज के व्यावसायिक दौर में वायरस फैलाकर उसका एंटी वायरस का बाजार बनाया जा रहा है। इस तरह की बीमारी से भारत जैसे देश को बचाना एक चुनौती है। भारत सरकार की कोशिशें भी जारी है और यह बेहतर होगा कि इस बीमारी का जल्द से जल्द समाधान, इलाज निकाला जाए जिसमें भारत के डॉक्टर सक्षम भी हैं। इलाज खोजने तक सभी को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आचार, विचार और खान पान संतुलित रखना होगा। वृद्ध जन जिनका प्रतिरोधक तंत्र थोड़ा कमजोर होता है उन्हें संयम रखना चाहिए और मांसाहार बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए।

हरिवंश कौर सेठी
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

सावधानी के साथ जरूरी कदम उठाना ही है उचित उपाय

इस समय पूरे विश्व में कोरोनावायरस को लेकर चिंता का माहौल है और सभी देश इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। भारत ने भी शुरुआती कदम उठाए हैं और हवाई अड्डों पर निगरानी के साथ ही विभिन्न अस्पतालों में संदिग्ध व्यक्तियों के लिए विशेष चिकित्सा वार्ड बनाए गए हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। यह आमतौर पर सर्दी-जुकाम जैसे लक्षणों के साथ शुरू होता है जिसमें सिरदर्द, नाक बहना, बुखार, छींक आना और शरीर में जकड़न जैसे शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि इसके अलावा कोरोनावायरस से प्रभावित व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है और आगे चलकर उसे तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (एआरडीएस) होने की संभावना बढ़ जाती है। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति सामान्य तरीके से सांस नहीं ले पाता और उसे वेंटिलेटर का सहारा दिया जाता है। मरीज को बैक्टीरियल न्यूमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण होने पर व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। आमतौर पर यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है लेकिन व्यक्तियों के करीबी संपर्क से भी एक दूसरे में फैल सकता है। कोरोनावायरस विशेष तौर पर हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है जिसके कारण इससे बचाव के तौर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें और इस तरह के लक्षणों वाले व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखें। इस तरह की महामारियों का आर्थिक स्तर पर भी गंभीर असर होता है। स्थान विशेष की मृत्यु दर में वृद्धि, उत्पादकता में कमी, कई दिनों तक कारोबार न होना, अतिरिक्त खर्च और सरकारी लागत काफी अधिक हो जाती है जिससे अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए जब तक कोरोनावायरस जैसी महामारियों से बचने के लिए किसी विशेष टीके का विकास नहीं हो जाता, तब तक सावधानी के साथ जरूरी कदम उठाकर ही इससे बचा जा सकता है।

बातचीत: वीरेश्वर तोमर

एमसी मिश्रा
पूर्व निदेशक, एम्स

फिलहाल खतरा है कम लेकिन साफ-सफाई का रखना होगा ध्यान

चीन में 7,711 से अधिक मरीजों के साथ साथ कोरोनावायरस अभी तक 18 देशों में फैल चुका है। इसके कारण अभी तक 305 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि चीन में 124 लोगों को इलाज द्वारा ठीक करके वापस घर भी भेजा जा चुका है। हमें समझना होगा कि यह कोई नई बीमारी नहीं है और प्रत्येक दशक में कोई जूनोटिक-कोरोनावायरस जानवरों से मनुष्यों में आ जाता है। इस बार 2019-एनसीओवी नामक कोरोनावायरस चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल रहा है। इससे पहले सार्स और मर्स नामक कोरोनावायरस पूरे विश्व में चिंता का विषय बन चुके हैं। 2019-एनसीओवी के लक्षणों को देखने पर यह 75-80 प्रतिशत सार्स कोरोनावायरस की तरह दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बात से चिंता को कम किया जा सकता है कि इस कोरोनावायरस से होने वाली मृत्यु दर सार्स, मर्स तथा इबोला वायरस से कम है। जहां मर्स की मृत्यु दर 35 प्रतिशत, सार्स की 10 प्रतिशत, इबोला की 50 प्रतिशत और स्मॉलपॉक्स की 30-40 प्रतिशत है, वहीं 2019 एनसीओवी की मृत्यु दर 3 प्रतिशत है। हालांकि अभी तक के शोध से पता चला है कि इसके मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण की दर काफी धीमी है। यह वायरस भी सार्स की तरह मनुष्य के श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और फेफड़ों के ऊतकों तथा इंट्रापीथेलियल कोशिकाओं पर हमला करता है। इस वायरस के करीब एक तिहाई मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। मरीजों को बुखार, दो तिहाई को सर्दी, जुकाम, 50 प्रतिशत मरीजों को कमजोरी तथा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत आ रही है। आधे से अधिक मरीज सांस लेने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि इस बीमारी के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है और मरीज के लक्षणों के आधार पर उसका उपचार किया जा रहा है। इसमें समयबद्ध निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाथ को पानी-साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धुलें। आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें, छींकते समय मुंह को ढक लें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। रोजमर्रा की आदतों से हम वायरस के विस्तार से बच सकते हैं।

बातचीत: वीरेश्वर तोमर

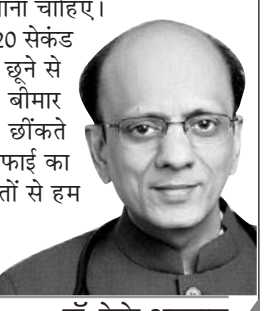

डॉ. केके अग्रवाल
अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस इन एशिया ऐंड ओसीनिया

पुरस्कृत पत्र

1

डॉ नरेंद्र नाथ गुरिया
जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

पुरस्कार राशि **500** रुपये

खाद्य सुरक्षा मानकों का हो पालन

कोरोनावायरस से होने वाली बीमारी सहित तमाम तरह की बीमारियों का माध्यम संक्रमित खाद्य पदार्थ ही होते हैं। ग्रामीण व शहरी इलाकों में अवैध पोल्ट्री फार्म व बूचड़खानों में पशुओं को बेहद असुरक्षित तरीके से रखा जाता है। ऐसे स्थलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को मुस्तैदी दिखाते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना चाहिए। लाइसेंस जारी करने के लिए कड़ाई से जांच करानी चाहिए। सड़कों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित अंतराल पर जांच करने की जरूरत है। खानपान की आदतों को लेकर व्यक्तिगत तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के सर्दी-जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र जांच कराना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

श्रेष्ठ पत्र

डॉ आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

विशेषज्ञों की सलाह का करें पालन

कोरोनावायरस से इस समय दुनिया के 20 से अधिक देश प्रभावित हो चुके हैं और अभी कई देशों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। भारत को भी इस महामारी का खतरा है क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है जिसके कारण वहां से आवागमन करने वाले भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। चीन में अभी इस रोग के इलाज की दवा नहीं बनी है। फिलहाल इस महामारी को लेकर जन जागरूकता और परहेज ही इसके खतरे से बचा जा सकता है। सबसे पहले इस तरह की बीमारी में हमें अपने खान पान को सही करना होगा। मांसाहार और सी फुड से दूरी बनाना बेहतर होगा। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही सावधानियों को अनुशरण करना होगा।

डॉ. एम एस सिद्दीकी
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

कारणों का पता लगाएं

कोरोनावायरस के कारण पूरी दुनिया में घबराहट का माहौल बन गया है। चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इससे बचने के लिए इसके कारणों का पता लगाना होगा और उसके मुताबिक कदम उठाने होंगे। कहा जा रहा है कि सांपों अथवा चमगादड़ों से यह वायरस फैला है। इस बारे में देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए विदेश और मुख्यत: चीन से आने वाले लोगों की जांच जरूरी है। ऐसे मरीजों को अलग रखकर इलाज करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस संदर्भ में सक्रियता दिखानी चाहिए। स्वच्छता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह संतोषजनक बात है कि सरकार इस दिशा में काफी गंभीर है। लोगों को भी इलाज की अपेक्षा रोकथाम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

सतर्क रहने की जरूरत

चीन से अस्तित्व में आया जानलेवा वायरस कोरोनावायरस अब धीरे-धीरे दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है। ऐसी भी खबरें हैं कि इस जानलेवा वायरस ने भारत में भी दस्तक दी है। चीन से हमारे देश में आने वाले यात्रियों पर इस वायरस से संबंधित नजर रखने के लिए वैसे तो सरकार ने ठोस कदम उठाएं हैं। लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी इसके लिए जागरूक और गंभीर रहें। अगर किसी को इस वायरस के लक्षण खुद में या किसी जान पहचान वाले में नजर आए तो फौरन अस्पताल जाएं और ऐसे लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस की चपेट में नहीं आ सके। सरकार को इसके प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाकर इससे बचने के तौर तरीके आम लोगों तक पहुंचाने चाहिए।

कार्तिक त्यागी
मेरठ, उत्तर प्रदेश

लोगों को जागरूक करें

कोरोनावायरस के संक्रमण में बुखार से शुरू होकर सूखी खांसी और उसके एक हफ्ते बाद सांस लेने में कठिनाई व गंभीर मामलों में निमोनिया, गुर्दे की विफलता और मृत्यु तक हो सकती है। चिंता की बात यह है कि इसका कोई प्रभावी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर ही इसका उपचार किया जा रहा है। परंतु इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानी जरूरी है। बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश आदि लक्षण होने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सा परीक्षण कराएं। सात हवाईअड्डे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद तथा कोच्चि में चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य अच्छा है। सरकार को इसके प्रति जागरूकता के लिए कदम उठाकर इसके लक्षण व रोकथाम के विषय में बताना चाहिए।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है –

आम बजट पर आपकी राय ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in

महामारी से निपटने की कैसी तैयारी ?

कोरोनावायरस की महामारी फैलने के बाद उन जानलेवा वायरस की कई किस्मों पर भी चर्चा होने लगी है जो वायुजनित हैं और जिनसे भी महामारी फैलने की आशंका है। बता रहे हैं **वीर अर्जुन सिंह**

इस वक्त देश में जोर-शोर से सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षात्मक सूट पहले सुरक्षा अधिकारी चेहरे पर मास्क लगाए और कुछ उपकरण लिए हुए देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर सुरक्षा की पहली कतार में नजर आते हैं। उनके पास थर्मल गन होते हैं और वे यात्रियों की जांच के लिए इन्फ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शारीरिक संपर्क नहीं होता। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे चीन से आने वाले उन लोगों की पहचान करें जिनके शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा है और उन्हें अलग रखें। आमतौर पर सामान्य फ्लू के खांसी, बदन दर्द, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हैं।

देश के 21 बड़े हवाईअड्डे पर 40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई हैं और इसके अलावा 200 लोगों की व्यापक जांच की गई और केरल की एक छात्रा को कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया। इस वायरस के संक्रमण से 18 देशों में 14,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 305 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वाले ज्यादातर लोग चीन के वुहान से थे जहां संक्रमण फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे '2019-एनकोव सांस संबंधी गंभीर बीमारी' कहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन आपात समिति की दूसरी बैठक में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। नए तरह का कोरोनावायरस या एनकोव की वजह से श्वसन से जुड़ी ऊपरी हिस्से में संक्रमण फैलता है। हालांकि इसके स्रोत और विषाणु के खतरनाक होने की बात भ्रामक है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मर्स-कोव (मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस) की वजह से 854 लोगों की मौत हुई और सार्स कोव (सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस) की वजह से 774 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इनसे एक बात यह समझ आई कि 2019-एनकोव का स्रोत काफी अनिश्चित है और इसका निश्चित इलाज कभी संभव नहीं होगा और न ही इसके निरोधक टीके तैयार हो पाएंगे। ज्यादातर दवाई कंपनियों ने सार्स और मर्स का संक्रमण खत्म होने के बाद टीके तैयार की प्रक्रिया रोक दी। हालांकि पूरी प्राथमिकता वायरस के संक्रमण को रोकने की है। चिंता की बात यह है कि वुहान में दिसंबर के मध्य में पहली बार वायरस का संक्रमण फैला और 2012 में मर्स के फैलने के दौरान कुल 2,494 मामलों की पुष्टि के मुकाबले ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 17 महीने की अवधि तक सार्स महामारी वर्ष 2002 से 2003 के बीच फैली और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 8,098 मामले की पुष्टि हुई। हालांकि यह ज्यादा संक्रामक है लेकिन इसकी एक ही सकारात्मक बात है कि 2019-एनकोव थोड़ी कम जानलेवा है। कोरोनावायरस के संक्रमण से मरने वालों का अनुपात सार्स के 9.5 फीसदी और मर्स के 37 फीसदी के मुकाबले महज 2 फीसदी है। हालांकि दूसरी महामारियों के मुकाबले 2019-एनकोव अपना रूप परिवर्तित करके ज्यादा घातक हो सकता है।

मुंबई में मुलुंड कल्याण में मौजूद फोर्टिस हॉस्पिटल में संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ और एचआईवी के डॉक्टर कीर्ति सबनवीस का कहना है, 'इस बीमारी में बुखार होता है और इसमें मौत स्वाइन फ्लू की तरह होती है जो एन्फ्लूएंजा का एक प्रकार होता है।' वर्ष 2015 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से भारत में करीब 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस वक्त देश भर के अस्पतालों को सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन मरीजों में एन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण दिखें उन्हें अलग रखा जाए। सबनवीस कहते हैं, 'इस बीमारी के संदिग्ध मरीजों को नकारात्मक दबाव वाले कमरे में रखा जाता है जिसमें हवा अंदर आने की इंतजाम तो होता है लेकिन यह हवा बाहर नहीं निकलती।' अस्पताल ऐसे मरीजों को उन कमरे में भी रख सकते हैं जिनकी अलग वातानुकूलित नली होती है। गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल में मेडिकल निदेशक और आंतरिक दवा विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ निदेशक राजीव डांग कहते हैं, 'अस्पताल में दो बिस्तरों के बीच में कम से कम एक मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।' इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तेजी से कोरोनावायरस की महामारी चीन में फैली है उससे देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर रूप से दबाव बढ़ सकता है। चीन की तरह ही भारत में भी इस महामारी के फैलने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहां आबादी का घनत्व ज्यादा है।

हालांकि अब तक दुनिया में कोरोनावायरस से तेजी से फैल रही महामारी पर नियंत्रण करना मुश्किल लग रहा है। डांग कहते हैं, 'संक्रमित व्यक्ति में इस महामारी के कोई लक्षण नहीं भी दिखे तब भी वे संक्रमण फैला सकते हैं।' बुधवार को वुहान में 10 साल के एक लड़के को संक्रमण जांच में पॉजिटिव पाया गया हालांकि वह काफी सेहतमंद दिख रहा था। ऐसा लगता है कि कोरोनावायरस का संक्रमण आदमी से आदमी के संपर्क और किसी संक्रमित व्यक्ति के छींक या खांसी की वजह से भी से फैल रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि संक्रमण किसी व्यक्ति में करीब 14 दिनों तक रह सकता है। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जो लोग पिछले दो हफ्ते से वुहान में रहे हैं वैसे संदिग्ध मामले वाले व्यक्ति को करीब 28 दिनों तक के लिए अलग रखा जाए।

लेकिन अगर 2019-एनकोव का प्रसार तेजी से जारी रहा तब इलाज के क्लीनिकल डेटा के अभाव में डॉक्टरों के पास लक्षण के आधार पर इलाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सबनीस कहते हैं, 'मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या फिर उन्हें ज्यादा बुखार हो सकता है। ऐसे में उनका इलाज उसी के अनुसार होगा। लेकिन फिलहाल इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है।'

वायरस उत्परिवर्तन बेहद लाजिमी है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ऐसी नई महामारी में किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। यह संस्था दुनिया भर में मौसमी फ्लू के संक्रमण की निगरानी करने के साथ ही क्लिनिकल डेटा का विश्लेषण करती है और हर साल इन संक्रमणों से निजात पाने के लिए सिफारिशें प्रकाशित कराती है। वैश्विक स्तर पर एक साल में 250,000 और 650,000 लोग एन्फ्लूएंजा से मरते हैं।

डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि साल में दो बार फ्लू के संक्रमण की आशंका होती है जो शीतकाल के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध में सक्रिय होता है। संस्था ने दवा कंपनियों से सिफारिश की है कि वे नई फ्लू वैक्सिन बनाएं। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण के प्रभावी होने में दो हफ्ते लगते हैं। भारत में हर सितंबर में छह महीने से बड़े बच्चे और सभी वयस्कों में एक बार टीके लगाने की सिफारिश की जाती है। हालांकि कई मामले में इस सालाना टीके के खिलाफ ही बातें उभर कर आती हैं भले ही विकसित देशों के स्वास्थ्य विभाग इसकी सिफारिश करते हों। रोम में रहने वाले ब्रिटेन के मशहूर महामारी विशेषज्ञ टॉम जेफरसन गैर-लाभकारी संस्था कोक्रेन कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं और उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर फ्लू के टीके के असरदार होने की व्यापक समीक्षा की है। उन्होंने हाल ही में एंटी-वायरल टामिफ्लू तैयार करने वाली कंपनी रोशे पर मुकदमा दर्ज किया है जिसने यह दावा किया कि इससे फ्लू की महामारी कम हो सकती है। भारत में स्वाइन फ्लू के प्रसार के दौरान व्यापक तौर पर टामिफ्लू का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली के आंख-नाक कान विशेषज्ञ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'हम फ्लू के टीके की सिफारिश केवल 65 साल के अधिक उम्र के लोगों के लिए करते हैं जो ज्यादा असुरक्षित होते हैं और गंभीर बीमारियों की वजह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है।' उनका कहना है, 'वैसे यह पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है। यह किसी और पर असरदार नहीं होता।' कई डॉक्टर तो विशेषतौर पर बच्चों को फ्लू का टीका नहीं लेने की सलाह देते हैं। गुरुग्राम में मेदांता मेडिसिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर ऐंड एनेस्थेसियोलॉजी के अध्यक्ष यतिन मेहता कहते हैं कि फ्टू का टीका भले ही सबसे बेहतर न हो लेकिन इससे हर साल कई लोगों की जिंदगी बचती है। वह कहते हैं, 'मैंने खुद भी यह टीका लिया है। मेरी नर्सिंग स्टाफ और मेरे बच्चों ने भी यह टीका लिया है। इससे किसी खास वायरस के प्रभाव को लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं होता।' वह कहते हैं कि इसे न लेने की कोई वजह नहीं है। मैक्स और फोर्टिस के विशेषज्ञ भी मेहता की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि फ्लू टीके से एन्फ्लूएंजा ए और बी (एच1एन1 वायरस सहित) का प्रतिरोध करने में मदद मिलती है और यह 2018-19 में 40-60 फीसदी तक प्रभावी था। शोधकर्ताओं का कहना है कि 2019-एनकोव के लिए टीका तैयार करने के लिए एक अलग पैमाने का अनुसरण करना होगा जो सार्स और मर्स महामारी को नियंत्रित करने के तरीके से अलग होगा। यह जेनेरिक फ्लू टीके से ज्यादा प्रभावी होगा और यह मानव परीक्षण पूरा करने से पहले कम से कम एक साल का वक्त लेगा। 1918 की एन्फ्लूएंजा महामारी में करीब 5-10 करोड़ लोग मारे गए थे और उस वक्त दुनिया की एक-तिहाई आबादी संक्रमित हो गई थी। इस घटना के 100 साल के बाद भी महामारी को रोकने के लिए वायरस के संक्रमण को रोकना ही एकमात्र प्रभावी तरीका है।

शनिवार को लंदन के चाइना टाउन में कोरोनावायरस के संक्रमण के डर से मास्क पहने लोग

2019-एनकोव फ्लू की तरह है। इसके संक्रमण से वैसे ही लोगों की मौत हो रही है जैसा कि स्वाइन फ्लू के प्रसार के वक्त हुआ था

कीर्ति सबनीस

संक्रामक रोग विशेषज्ञ, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड कल्याण मुंबई

इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में भले ही कोई लक्षण न दिखे लेकिन वे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं

राजीव डांग

वरिष्ठ निदेशक और विभाग प्रमुख, आंतरिक औषधि मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम

- **2019-एनकोव मर्स और सार्स जैसी महामारी से ही जुड़ा हुआ वायरस है जिसका प्रसार इन दोनों के मुकाबले ज्यादा तेजी से हुआ।**
- **अब तक इस वायरस के संक्रमण से 305 लोग मरे हैं और चीन समेत 18 देशों में करीब 14,500 से अधिक संक्रमण के मामले की पुष्टि हुई है**
- **डब्ल्यूएचओ ने आपात स्थिति की घोषणा की है**

देश में मिला कोरोनावायरस का दूसरा मामला

टी ई नरसिम्हन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल में कोरोनावायरस के दूसरे मामले की पुष्टि की है। मरीज में कोरोनावायरस पाया गया है और उसे अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। मरीज ने चीन की यात्राएं की हैं। मंत्रालय ने बताया कि छात्र की हालत स्थिर है तथा उसे गहन निगरानी में रखा गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के दूसरे मामले के बारे में जानकारी दी है और छात्र 24 जनवरी को चीन की यात्रा करके लौटा है तथा उसे फिलहाल अलप्पुझा (केरल) मेडिकल कॉलेज में रखा गया है।

इससे पहले सरकार ने चीन के वुहान विश्वविद्यालय से लौटी एक छात्रा में वायरस होने की पुष्टि की थी और उसे त्रिशूर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

देश के कुल दो लोगों में कोरोनावायरस की हुई पुष्टि, दोनों मरीज केरल के निवासी हैं (फोटोः पीटीआई)

जयपुर में तीन संदिग्ध

कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षणों के साथ तीन लोगों को स्थानीय एसएमएस सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है । एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डी एस मीणा ने कहा, 'उन लोगों को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनके रक्त के नमूने ले लिए गए हैं जो नकारात्मक निकले हैं।' इस बीच, अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में चीन के वुहान प्रांत से लाए जा रहे 300 लोगों को रखने के लिए प्रबंध किया गया है। इस संबंध में केंद्र के साथ समन्वय कर रहे स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि चीन से आने वाले लोगों के लिए दो हॉस्टलों में 300 बेड तैयार किए गए हैं और पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने कोरोनावायरस को लेकर नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसकी जांच के लिए दो के बजाय केवल एक ही परीक्षण काफी है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ स्वास्थ अधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों से नमूनों की तेजी से जांच सुनिश्चित होगी। इनसे कोरोनावायरस से निपटने में भी तेजी आएगी। चीन से अपने नागरिक निकालने के प्रयास में भारत ने कुल दो विमानों से 654 लोगों को वुहान से निकाला है। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया के जंबो बोइंग विमान 747 ने वुहान के लिए दो उड़ानें भरी थीं। पहली उड़ान में शनिवार को 324 लोगों को निकाला गया जबकि रविवार को 323 भारतीय और सात मालदीव के नागरिकों को निकाला गया।

भारत का ई-वीजा पर प्रतिबंध

भारत ने रविवार को चीन से आने वाले चीनी एवं अन्य विदेशी यात्रियों के लिए ई-वीजा की सुविधा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी। भारतीय दूतावास ने घोषणा की, 'हाल की गतिविधियों के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से ई-वीजा के माध्यम से भारत की यात्रा पर रोक लगाई जाती है।' वहीं दूसरी तरफ चीन के हुबई प्रांत के वाइस गवर्नर श्याओ जुहुआ का कहना है कि प्रांत में स्थिति काफी 'गंभीर तथा जटिल' हो गई है और वहीं पर चिकित्सीय संसाधन काफी कम रह गए हैं। वहीं, हुबई प्रांत के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के निदेशक बांग वई ने बताया कि परीक्षण किट की मदद से वायरस के ग्रसित लोगों की पुष्टि करने में अधिक से अधिक दो घंटे का समय लग रहा है और किट की सटीकता को भी बेहतर किया गया है। वहीं, रविवार को फिलीपींस में कोरोनावायरस से संक्रमित चीन के एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। फिलीपींस स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 44 वर्षीय चीनी व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित था और मनीला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। *(साथ में एजेंसियां)*